अध्याय 6

अनुपालन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में उपभोक्ता बिलिंग और संग्रहण दक्षता

6.1.1 प्रस्तावना

विद्युत, तीव्र आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख वाहक है, अतः समग्र विकास के लिए इसकी आपूर्ति आवश्यक है, साथ ही उद्योगों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रतिस्पर्धी दर पर प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। किसी डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता मुख्य रूप से बिलिंग, संग्रहण और वितरण हानि को कम करने की दक्षता पर निर्भर करती है।

छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत का वितरण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के विघटन के परिणामस्वरूप कंपनी का गठन जनवरी 2009 में हुआ था। 31 मार्च 2022 की स्थिति में कंपनी संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में 60.27 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करती है।

6.1.2 संगठनात्मक संरचना

कंपनी, छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) के ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसका प्रबंधन निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा किया जाता है जिसका नेतृत्व एक प्रबंध निदेशक और चार अन्य निदेशक करते हैं। प्रबंध निदेशक (एमडी) कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो कंपनी के दिन–प्रतिदिन के कामकाज निष्पादित करता है। क्षेत्रीय इकाइयों की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों की निगरानी कार्यपालन निदेशक, संचालन एवं संधारण तथा राजस्व द्वारा मुख्यालय स्तर पर की जाती है। मैदानी गतिविधियों का निष्पादन, संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन निदेशक/मुख्य अभियंता के पर्यवेक्षण में अधीक्षण अभियंताओं द्वारा संचालित सर्किल कार्यालयों तथा कार्यपालन अभियंताओं द्वारा संचालित कार्यान्वयन इकाईयों (संभागों) द्वारा किया जाता हैं। कंपनी की मैदानी इकाइयों को 8 क्षेत्रों, 18 सर्किलों और 64 संभागीय कार्यालयों में विभाजित किया गया है जो राज्य भर में स्थित हैं।

6.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्याः

- विद्युत की आपूर्ति, वितरण एवं विक्रय का शत्–प्रतिशत लेखांकन एवं बिलिंग, विद्युत सप्लाई कोड एवं टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया; एवं
- वर्तमान वर्ष के दौरान जारी किए गए देयकों एवं विगत वर्षों के बकाया का शत्–प्रतिशत संग्रहण प्रभावी एवं कुशल रीति से किया गया।

6.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए निम्नलिखित स्त्रोतों को लेखापरीक्षा मापदंड के रूप में अपनाया गया था:

- विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम),
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत सप्लाई कोड, 2011 (विद्युत सप्लाई कोड, 2011) यथा समय–समय पर संसोधित,
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) द्वारा जारी विद्युत टैरिफ आदेश,
- कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों का कार्यवृत्त,
- कंपनी द्वारा जारी परिपत्र/आदेश,
- ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) और ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) और सीएसईआरसी द्वारा जारी आदेश/दिशानिर्देश/परिपत्र/निर्देश।

6.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा का संपादन विगत पाँच वर्षों 2017–18 से 2021–22 की अवधि को सम्मिलित करते हुए जून 2022 से दिसंबर 2022 तक किया गया था। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय और छह सर्किल (ओ एंड एम सर्किल कार्यालय) के दस्तावेंजो का निरिक्षण करना सम्मिलित था। छत्तीसगढ़ राज्य में कंपनी के 18 सर्किल कार्यालय हैं। आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके यादृच्छिक नमूनाकरण विधि के आधार पर कुल सर्किल कार्यालयों में से 33 प्रतिशत[1] का चयन किया गया हैं। चयनित सर्किल कार्यालयों और उसके संभागीय कार्यालयों का विवरण ***परिशिष्ट–6.1.1*** में दर्शाया गया हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2017–18 से 2021–22 के प्रत्येक मार्च महीने की अवधि के बिलिंग आंकड़ों के अभिलेखों को विस्तृत जांच के लिए चयनित किया गया हैं। छः चयनित सर्किलों में कुल 844 हाई टेंशन (एचटी) उपभोक्ताओं में से 33 प्रतिशत एचटी उपभोक्ताओं (281 एचटी उपभोक्ता) के दस्तावेजों को विस्तृत जांच के लिए चुना गया।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष कंपनी एवं छत्तीसगढ़ शासन को जनवरी 2023 में प्रेषित किए गए थे और 22 अगस्त 2023 को आयोजित एक निर्गम बैंठक में इस पर चर्चा की गई थी। बैंठक में सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन और कंपनी के प्रबंध निदेशक ने भाग लिया था। निर्गम सम्मेलन के कार्यवाही विवरण एवं छत्तीसगढ़ शासन का उत्तर अक्टूबर 2023 में प्राप्त हुआ। उनके द्वारा निर्गम बैठक में व्यक्त किये गये विचार और छत्तीसगढ़ शासन के उत्तर पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय विचार किया गया है।

6.1.6 कंपनी में वितरण तंत्र

सभी श्रेणियों[2] के अंतर्गत 31 मार्च 2022 की स्थिति में कंपनी के कुल 60.27 लाख उपभोक्ता थे जिनका कनेक्टेड लोड 10,301.81 मेगा वाट (एमडब्ल्यू) था। वर्ष 2021–22 के दौरान अधिकतम भार एवं औसत भार क्रमशः 5,057 मेगावाट और 3,674 मेगावाट थे। कंपनी विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों और समय–समय पर जारी टैरिफ

---

[1] छः सर्कल कार्यालयों एवं 19 संभागीय कार्यालयों को चयनित किया गया।

[2] निम्न दाब (एलटी) श्रेणी में घरेलू, गैर–घरेलू, कृषि, औद्योगिक एवं अन्य कनेक्शन तथा उच्च दबाव (एचटी) उपभोक्ता।

आदेश के अनुसार उपभोक्ताओं के मासिक बिल बनाती हैं। टैरिफ आदेशों को अंतिम रूप देते समय सीएसईआरसी कंपनी के लिए वितरण हानि के लिए लक्ष्य तय करता है, निर्धारित लक्ष्य से अधिक किसी भी हानि को कंपनी द्वारा वहन किया जाना है। कंपनी की वित्तीय स्थिरता मुख्य रूप से वितरण हानि को न्यूनतम और उनकी बिलिंग और संग्रहण दक्षता को अधिकतम करने पर निर्भर करती है। विद्युत वितरण प्रणाली में वितरण हानि[3] का घटनाक्रम और बिलिंग/संग्रहण दक्षता ***चार्ट 6.1.1*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 6.1.1: विद्युत वितरण की गतिविधि प्रक्रिया को दशाने वाला चार्ट

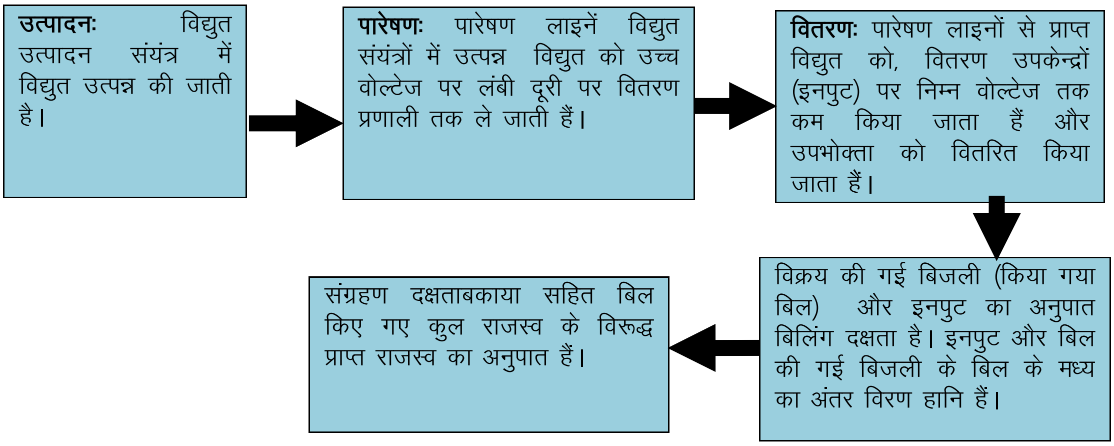

इनपुट इकाइयों के संबंध में कंपनी में बिलिंग और संग्रहण दक्षता की 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षों के दौरान की स्थिति ***तालिका 6.1.1*** में दर्शाया गया हैं:

तालिका 6.1.1: कंपनी में बिलिंग दक्षता, वितरण हानि एवं संग्रहण दक्षता की जानकारी दर्शानेवाला विवरण

वर्ष	क्रयकी गई इकाइयाँ/ऊर्जा का इनपुट[4] मिलियन यूनिट में (एमयू)	विक्रयकी गई इकाइयाँ (एमयू)	नष्ट हुई इकाइयाँ (एमयू)	इकायों की हानि (प्रतिशत)	बिलिंग दक्षता (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान मांग (दावा की गई सब्सिडी सहित) (₹ करोड़ में)	वर्ष के आरंभ में बकाया[5] (₹ करोड़ में)	वर्ष के अंत में बकाया (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान दावा की गई सब्सिडी (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान प्राप्त सब्सिडी (₹ करोड़ में)	ऊर्जा विक्रय से प्राप्त सब्सिडी के आधार पर समायोजित राजस्व (₹ करोड़ में)	संग्रहण दक्षता (प्रतिशत)	कंपनी द्वारा रिपोर्ट की गई संग्रहण दक्षता (प्रतिशत में)
1	2	3	4(2–3)	5 (4/2)%	6(3/2) %	7	8	9	10	11	12(7–10 +11)	13{(12+8 –9)/7} %	14
2017–18	22,238.70	17,755.02	4,483.68	20.16	79.84	15,144.91	1,941.71	2,054.72	2,685.79	2,599.57	15,058.69	98.68	99.09
2018–19	23,475.07	19,040.36	4,434.71	18.89	81.11	16,110.32	2,397.55	2,933.77	2,314.42	2,141.42	15,937.32	95.60	96.11
2019–20	24,849.53	20,132.75	4,716.78	18.98	81.02	18,836.69	4,246.10	4,316.29	4,249.89	4,651.18	19,237.98	101.76	99.52
2020–21	25,424.20	20,842.22	4,581.98	18.02	81.98	17,818.20	4,316.29	5,405.67	3,787.37	4,194.84	18,225.67	96.17	92.24
2021–22	30,732.00	25,161.00	5,571.00	18.13	81.87	14,737.00	7,450.00	7,524.00	3,931.00	4,725.00	15,531.00	104.89	100.24

(स्त्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

---

3 वितरण हानियाँ कंपनी में प्राप्त ऊर्जा और कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को बिल की गई ऊर्जा के बीच का अंतर है।

4 एक किलोवाट घंटा (केडबल्यूएच) एक यूनिट विद्युत के बराबर है और 10 लाख यूनिट एक मिलियन यूनिट (एमयू) है। एमडबल्यू विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को दर्शाता है, इसकी उत्पादित विद्युत एमयू में मापी जाती है। एक मेगावाट क्षमता का संयंत्र एक घंटे में 1000 केडबल्यूएच विद्युत उत्पादन करता है और इसलिए 24 घंटो में यह 24000 यूनिट (1 मेगावाट x 24 घंटे x 1000 यूनिट) यानी 0.024 एमयू उत्पन्न करता है।

5 बकाया विद्युत शुल्क

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान, सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित 83.50 से 84 प्रतिशत की लक्षित सीमा के विरूद्ध बिलिंग दक्षता 79.84 प्रतिशत और 81.98 प्रतिशत के बीच थी। इसी प्रकार, संग्रहण दक्षता का प्रतिशत 99.66 प्रतिशत के लक्ष्य[6] के विरूद्ध 95.60 और 104.89 के मध्य रहा। यह भी पाया गया कि कंपनी ने अपनी संग्रहण दक्षता की गणना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मूले को लागू नहीं किया। परिणामस्वरूप रिपोर्ट की गई संग्रहण दक्षता (–) 0.51 प्रतिशत से 4.65 प्रतिशत तक की त्रुटी थी।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान खरीदी गई इकाइयों/इनपुट ऊर्जा की लागत, नष्ट हुई इकाइयों और अप्राप्त इकाइयों की जानकारी ***तालिका 6.1.2*** में दी गई हैं।

तालिका 6.1.2: कंपनी में क्रय की गई इकाइयों/इनपुट ऊर्जा की लागत, नष्ट हुई इकाइयों और अप्राप्त इकाइयों की जानकारी को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	क्रय की गई इकाइयाँ/ ऊर्जा का इनपुट (एमयू)	प्रति यूनिट दर (₹)	विक्रय की गई विद्युत की लागत (₹ करोड़ में)	विक्रय की गई इकाइयाँ (एमयू)	नष्ट हुई इकाइयाँ (एमयू)	नष्ट हुई इकाइयों की लागत (₹ करोड़ में)	सीएसईआरसी टैरिफ के अनुसार हानि के मानदंड (प्रतिशत में)	मानदंडों से अधिक नष्ट हुई इकाइयाँ (एमयू)	प्रति यूनिट विक्रय मूल्य (₹)	राजस्व की हानि (करोड़ में)	अप्राप्त राजस्व[7] (₹ करोड़ में)	अप्राप्त इकाइयाँ (एमयू)
1	2	3	4(2 x3)	5	6(2–5)	7(6 x3)	8	9 {6– (2 x 8)%}	10	11(10 x9)	12	13(12/10)
2017–18	22,238.70	3.83	8,517.42	17,755.02	4,483.68	1,717.25	16.50	814.29	7.11	578.96	199.91	281.17
2018–19	23,475.07	3.88	9,108.33	19,040.36	4,434.71	1,720.67	16.50	561.32	6.78	380.58	708.85	1,045.51
2019–20	24,849.53	3.94	9,790.71	20,132.75	4,716.78	1,858.41	16.50	616.61	6.58	405.73	–331.53	–503.84
2020–21	25,424.20	4.13	10,500.19	20,842.22	4,581.98	1,892.36	16.00	514.11	6.50	334.17	682.44	1,049.90
2021–22	30,732.00	3.76	11,555.23	25,161.00	5,571.00	2,094.70	16.00	653.88	7.00	457.72	–720.64	–1,029.48
योग	**1,26,719.50**		**49,471.89**	**1,02,931.35**	**23,788.15**	**9,283.38**		**3,160.21**		**2,157.15**		

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान कंपनी ने ₹ 49,471.89 करोड़ की लागत पर 1,26,719.50 एमयू इनपुट/क्रय किया, जिनमें से उपभोक्ताओं को ऊर्जा वितरण के दौरान ₹ 9,283.38 करोड़ मूल्य के 23,788.15 एमयू नष्ट हो गए। नष्ट हुई कुल इकाइयों में से 3,160.21 एमयू मानक से अधिक थी अन्यथा कंपनी को ₹ 2,157.15 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता। इसके अलावा, विक्रय की गई इकाइयों में से कंपनी, वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2020–21 के दौरान ₹ 1,591.20 करोड़[8] मूल्य की 2,376.58 एमयू[9] की वसूली नहीं कर सकी। कंपनी को वर्ष 2019–20 और 2021–22 के दौरान विक्रय की गई इकाइयों की वसूली हुई।

इसलिए, कंपनी को अपनी बिलिंग दक्षता[10] में सुधार करना महत्वपूर्ण है ताकि इंजेक्ट/क्रय की गई इकाइयों और उपभोक्ताओं को बिल की गई इकाइयों के बीच अंतर को कम कर अपने वितरण हानि को कम करना है। इसके अलावा, कंपनी की

6 सीएसईआरसी के संग्रहण दक्षता के लक्ष्य के अभाव में उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) के लक्ष्य को बेंचमार्क लक्ष्य माना गया था।

7 तालिका 6.1.1 का कॉलम नं. 7 x (100–तालिका 6.1.1 का कॉलम 13)/100

8 ₹ 199.91 करोड़ + ₹ 708.85 करोड़ + ₹ 682.44 करोड़।

9 281.17 एमयू + 1045.51 एमयू+1049.90 एमयू।

10 बिलिंग दक्षता उपभोक्ताओं को इंजेक्ट/आपूर्ति की गई बिजली की कुल इकाइयों के मुकाबले बेची/बिल की गई इकाइयों का अनुपात है।

वित्तीय स्थिरता के लिए बकाया सहित बिल की गई इकाइयों के विरुद्ध वसूली की प्रणाली को मजबूत करके संग्रहण दक्षता[11] में सुधार आवश्यक है।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर आगामी कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

6.1.7 उपभोक्ता बिलिंग

संभावित उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन जारी करना, विद्युत का विक्रय, बिलिंग और विक्रय की गई इकाइयों के विरूद्ध राजस्व संग्रहण करना कंपनी की मुख्य गतिविधियां हैं। कंपनी की मैदानी इकाइयों की दक्षता समय पर नए कनेक्शन जारी करने, बिलिंग और राजस्व संग्रहण पर आधारित है। बिजली की बिलिंग सीएसईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों और विद्युत सप्लाई कोड, 2011 में उल्लिखित प्रासंगिक नियमों और प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

6.1.7.1 वितरण हानि हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक ऊर्जा की हानि

विद्युत ऊर्जा वितरण हानि में आपूर्ति के स्त्रोतों और वितरण बिंदुओं के बीच पारेषण में हानि और उपभोक्ताओं को वितरण करने के दौरान होने वाली हानि, चोरी सहित शामिल है। वितरण हानि के आंकड़े सीधे विद्युत के विक्रय और क्रय की मांगों को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार विद्युत टैरिफ दरों को प्रभावित करते हैं जो कंपनी द्वारा तय की जाती हैं और सीएसईआरसी द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। वितरण प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा हानि से संबंधित चयनित छह सर्किलों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि, सर्किल कार्यालयों महासमुंद, कवर्धा और जांजगीर–चांपा में ऊर्जा हानि सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य[12] से अधिक थी। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए ऊर्जा इनपुट, विक्रय की गई इकाइयों, नष्ट हुई इकाइयों और ऊर्जा हानि के प्रतिशत का विवरण ***तालिका 6.1.3*** में दिया गया है और ***परिशिष्ट–6.1.2*** में विस्तृत है।

तालिका 6.1.3: चयनित सर्किलों में बिलिंग दक्षता, वितरण हानि और सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अतिरिक्त हानि की जानकारी दर्शाने वाला विवरण

सर्किल	वर्ष	इनपुट इकाइयाँ (एमयू में)	बेची गई इकाइयाँ (एमयू में)	बिलिंग दक्षता (प्रतिशत)	खोई हुई इकाइयाँ (एमयू में)	वितरण हानि (प्रतिशत)	सीएसईआरसी टैरिफ आदेश के अनुसार मानदंड (प्रतिशत)	मानक से अधिक वितरण हानि (प्रतिशत)	अनुमेय हानि इकाइयों के लिए (एमयू में)	मानक से अधिक नष्ट हुई इकाइयाँ (एमयू में)	प्रति यूनिटदर[13] (₹)	राजस्व की हानि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5(4/3) %	6(3–4)	7(6/3) %	8	9(7–8)	10(3x8) %	11(6–10)	12	13(11*12)
महासमुंद	2017–18	1,412.99	1,018	72.05	394.99	27.95	16.50	11.45	233.14	161.85	7.11	115.08
	2018–19	1,506.99	1,072.23	71.15	434.76	28.85	16.50	12.35	248.65	186.11	6.78	126.18
	2019–20	1,455.32	1,087.59	74.73	367.73	25.27	16.50	8.77	240.13	127.60	6.58	83.96
	2020–21	1,638.35	1,169.84	71.40	468.51	28.60	16.00	12.60	262.14	206.37	6.50	134.14
	2021–22	1,898.10	1,382.39	72.83	515.71	27.17	16.00	11.17	303.70	212.01	7.00	148.41
	उप–कुल	**7,911.75**	**5,730.05**	72.42	**2,181.70**	**27.58**			**1,287.76**	**893.94**		**607.77**

11 संग्रह दक्षता बकाया सहित बिल किए गए कुल राजस्व के विरुद्ध प्राप्त राजस्व का अनुपात है।

12 2017–18 से 2019–20 के लिए 16.50 प्रतिशत और 2020–21 और 2021–22 के लिए 16 प्रतिशत।

13 सीएसईआरसी द्वारा अनुमोदित औसत बिलिंग दर (एबीआर)।

कवर्धा	2017–18	701.32	545.45	77.77	155.87	22.23	16.50	5.73	115.72	40.15	7.11	28.55
	2018–19	712.11	556.09	78.09	156.02	21.91	16.50	5.41	117.50	38.52	6.78	26.12
	2019–20	663.44	524.11	79.00	139.33	21.00	16.50	4.50	109.47	29.86	6.58	19.65
	2020–21	694.22	552.69	79.61	141.53	20.39	16.00	4.39	111.08	30.45	6.50	19.79
	2021–22	716.00	517.70	72.30	198.3	27.70	16.00	11.70	114.56	83.74	7.00	58.62
	उप–कुल	**3,487.09**	**2,696.04**	77.31	**791.05**	22.69			**568.32**	**222.73**		**152.72**
जांजगीर चांपा	2017–18	996.06	656.01	65.86	340.05	34.14	16.50	17.64	164.35	175.70	7.11	124.92
	2018–19	1,036.48	718.49	69.32	317.99	30.68	16.50	14.18	171.02	146.97	6.78	99.65
	2019–20	1,071.08	776.97	72.54	294.11	27.46	16.50	10.96	176.73	117.38	6.58	77.24
	2020–21	1,196.54	784.19	65.54	412.35	34.46	16.00	18.46	191.45	220.90	6.50	143.59
	2021–22	1,235.88	827.13	66.93	408.75	33.07	16.00	17.07	197.74	211.01	7.00	147.71
	उप–कुल	**5,536.04**	**3,762.79**	67.97	**1,773.25**	32.03			**901.28**	**871.97**		**593.10**
कुल योग		**16,934.88**	**12,188.88**	**71.98**	**4,746.00**	**28.02**			**2,757.36**	**1,988.64**		**1,353.60**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

महासमुंद, कवर्धा और जांजगीर–चांपा के सर्किल कार्यालय 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान बिलिंग दक्षता बढ़ाने और सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नही कर सके। इस अवधि के दौरान इन तीन सर्किलों में सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक वितरण हानि 4.39 प्रतिशत (कवर्धा) से 18.46 प्रतिशत (जांजगीर–चांपा) के मध्य थी, हालाँकि, रायपुर शहर–1, बिलासपुर शहर और राजनांदगांव सर्कील में वितरण हानि वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर थी। 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान चयनित सर्किलों की बिलिंग दक्षता और वितरण हानि का प्रतिशत ***चार्ट 6.1.2*** में दिया गया है:

चार्ट 6.1.2: चयनित सर्किलों में बिलिंग दक्षता और वितरण हानि प्रतिशत में

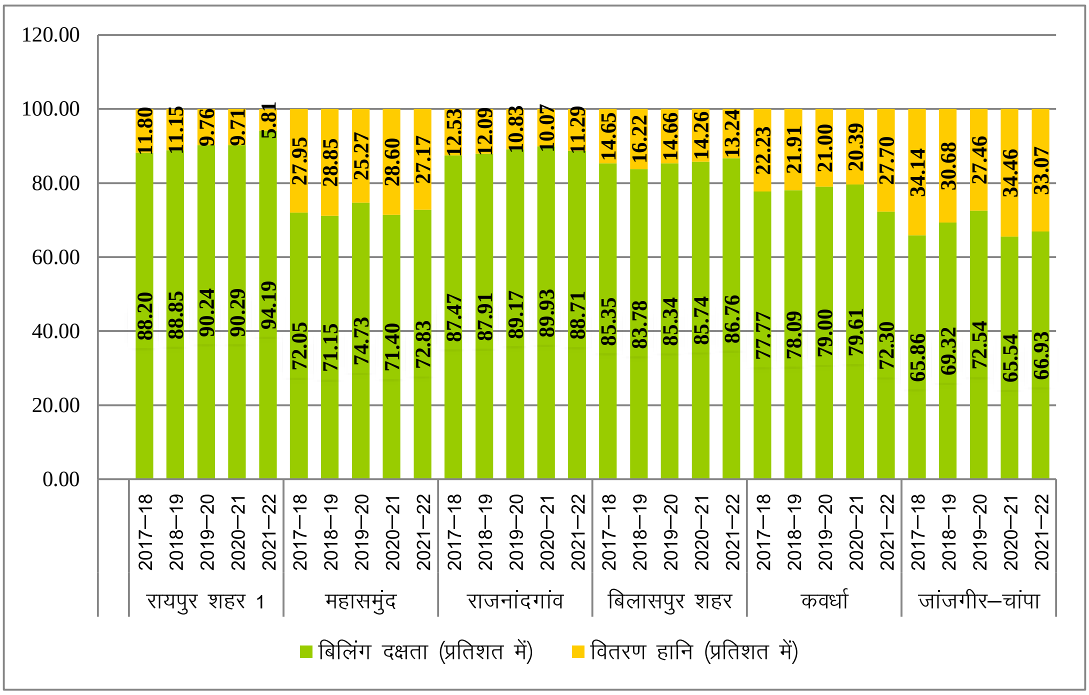

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

जैसा कि तालिका एवं चार्ट से देखा जा सकता है, पिछले पांच वर्षों में महासमुंद, कवर्धा एवं जांजगीर–चांपा सर्किल में वितरण हानि का प्रतिशत 20.39 से 34.46 के बीच रहा जो कि सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित 16.00 से 16.50 प्रतिशत से अधिक था।

लेखापरीक्षा में पाई गई अत्यधिक वितरण हानि के प्रमुख कारण वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग में तीव्रता लाने में कंपनी की अकर्मण्यता, स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) सिस्टम और कैपेसिटर बैंक (सीबी) की गैर–स्थापना, आकलित बिलिंग के मामलों की अधिकता और खराब मीटरों को बदलने में हुई देरी थे, जिसकी चर्चा आगामी कण्डिकाओं में की गई है। इस प्रकार, सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध कमी के परिणामस्वरूप ₹ 1,353.60 करोड़ मूल्य के 1,988.64 एमयू की हानि हुई। यदि कंपनी ने ₹ 258.58 करोड़ का व्यय करके हानि में कमी के लिए उपर्युक्त निवारक उपायों को क्रियान्वित किया होता, जैसा कि ***तालिका 6.1.4*** में बताया गया है, तो इससे ₹ 1,095.02[14] करोड़ की बचत होती।

तालिका 6.1.4: अधोसंरचना की कमियों में सुधार के लिए होने वाली लागत को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विवरण	डीटीआर मीटर	कैपेसिटर बैंक	खराब मीटरों को बदलना	एएमआर मीटर	स्मार्ट मीटरिंग
1	स्थापित करने के लिए कुल इकाइयाँ (संख्या)	45,343	210	1,29,067	4,909	2,79,171
2	प्रति यूनिट लागत (₹)	11,845	15,687	2,624.70	6,444	6,000
3	स्थापना के लिए आवश्यक कुल लागत (₹ करोड़ में)	53.71	0.33	33.88	3.16	167.50
कुल लागत ₹ करोड़ में		**258.58**				

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

यह उल्लेख करना उचित है कि समीक्षा अवधि के दौरान वितरण हानि में कमी से संबंधित कार्यों पर ₹ 8.57 करोड़ का व्यय करने के बावजूद कंपनी वितरण हानि लिए सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंडों को प्राप्त करने में विफल रही।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा सर्किल/डिवीजन–वार लक्ष्य उनके इनपुट, उपभोग पैटर्न, हानि के वर्तमान स्तर और पिछले प्रदर्शन के आधार पर तय किए जाते हैं। तदनुसार, राज्य की समग्र उपलब्धि सभी सर्किलों और संभागों का संचयी प्रयास है; जिनमें से कुछ लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और कुछ पिछड़ जाते हैं। आगे कहा गया कि कंपनी की ओर से वितरण हानि को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, यद्यपि कंपनी ने सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में सर्किलों के लिए 7.07 और 28.52 प्रतिशत के बीच कम लक्ष्य तय किए थे, लेकिन समीक्षाधीन अवधि के दौरान महासमुंद और कवर्धा सर्किलों द्वारा इसे भी हासिल नहीं किया जा सका। शेष चार चयनित सर्किल भी अपने लक्षित हानि को कम नही कर सके इसके अलावा जांजगीर–चांपा (2017–18), बिलासपुर शहर (2019–20), राजनांदगांव (2017–18 और 2019–20) और रायपुर शहर–1 (2017–18, 2019–20 और 2021–22)। जिसके कारण, कंपनी 31 मार्च 2022 को पूरे हुऐ पांच वर्ष के किसी

[14] मानक से अधिक वितरण हानि का मूल्य ₹ 1,353.60 करोड़ – निवारक उपायों पर किया जाने वाला व्यय ₹ 258.58 करोड़

भी वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई। इसके अलावा, कंपनी ने वितरण हानियों को कम करने के लिए आवश्यक कार्यवाई शुरू नही की जैसा की अपेक्षित था।

6.1.7.2 अधोसंरचना में कमियाँ

वितरण हानि में कमी करने के लिए, अधोसंरचना यानी इंजेक्ट की गई इकाइयों और बिल की गई इकाइयों की रिकॉर्डिंग और लेखांकन के लिए 100 प्रतिशत मीटरीकरण, स्मार्ट मीटरिंग, सीबी और एएमआर प्रणाली की स्थापना पर्याप्त और कुशल होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने डीटीआर मीटरीकरण, स्मार्ट मीटर और सीबी के संबंध में निम्नलिखित कमियां पाईः

(क) वितरण ट्रांसफार्मर में मीटर की स्थापना न होना

विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के उपवाक्य 11.57 के अनुसार, लाइसेंसधारी सभी वितरण ट्रांसफार्मरों में मीटर लगायेगा और ऊर्जा लेखापरीक्षा करेगा ताकि उच्च हानि वाले पॉकेट्स की पहचान की जा सके और ऐसे पॉकेट्स में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

चयनित सर्किलों के लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 31 मार्च 2022 तक, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) की कुल संख्या 64,451 में से, 52,926 डीटीआर से मीटर रीडिंग नहीं ली गई थी। इसके अलावा, इन 52,926 डीटीआर में से, 45,343 डीटीआर (70.35 प्रतिशत) में मीटर स्थापित नहीं किए गए थे और शेष 7,583 डीटीआर (11.77 प्रतिशत) के मामले में, रीडिंग नहीं ली जा रही थी, जैसा कि ***परिशिष्ट–6.1.3*** में बताया गया है। कंपनी ने सभी डीटीआर[15] में मीटर लगाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए और वितरण केंद्रों के प्रभारी द्वारा भी यह सुनिश्चित नही किया कि लगे हुए मीटरों से नियमित रूप से मीटर रीडिंग ली जाए। इसके अलावा, किसी भी डीटीआर के संबंध में उपलब्ध दस्तावेंजो पर कोई ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट[16] नहीं पाई गई।

यह विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रति कंपनी की लापरवाह दृष्टिकोण को इंगित करता है। परिणामस्वरूप, उच्च हानि वाले पॉकेट्सकी पहचान करने और ऐसे पॉकेट्स में हानि को कम करने के लिए आगे उपयुक्त कार्रवाई करने का उद्देश्य पुरा नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि 31 मार्च 2023 तक राज्य में स्थापित कुल 2,14,762 वितरण ट्रांसफार्मर में से 76,960 वितरण ट्रांसफार्मर (35.84 प्रतिशत) में मीटर लगा दिया गया है। वितरण ट्रांसफार्मर की 100 प्रतिशत मीटरिंग का काम रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) में शामिल किया गया है, जिसे मार्च 2024 के अंत तक पूरा किया जाना है।

यद्यपि, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन मीटर युक्त डीटीआर से रीडिंग नहीं लिए जाने पर उत्तर मौन हैं।

---

[15] ₹ 53.71 करोड़ की लागत पर (₹ 11,845.00 प्रति यूनिट की दर से 45,343 डीटीआर)।

[16] ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार, ऊर्जा लेखापरीक्षा लागत–लाभ विश्लेषण और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक कार्य योजना के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए ऊर्जा के उपयोग का सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण है।

(ख) सब–स्टेशनों में कैपेसिटर बैंकों की स्थापना न होना

कैपेसिटर बैंक (सीबी) ऊर्जा बचाने और रिएक्टिव ऊर्जा[17] को कम कर वितरण हानि को कम करके पावर फैक्टर[18] को बढ़ाने के लिए सब–स्टेशनों (एसएस) पर स्थापित किया जाने वाला उपकरण हैं।

चयनित सर्किलों के लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 31 मार्च 2022 तक, कुल 413 एसएस में से 210 एसएस (50.85 प्रतिशत) में सीबी स्थापित नहीं किए गए थे। इन 210 एसएस, जिनमें सीबी स्थापित नहीं थे, के लिए सीबी की कुल अपेक्षित क्षमता 25,410 केवीएआर[19] थी। यदि इन 210 एसएस में ₹ 32.94[20] लाख की लागत से सीबी स्थापित किए गए होते, तो कंपनी पांच वर्षों में ₹ 32.74 करोड़ मूल्य की 48.35 एमयू ऊर्जा और बचा सकती थी जैसा कि ***परिशिष्ट–6.1.4*** में दर्शाया गया है। यह राशि सीबी की स्थापना लागत की प्रतिपूर्ति करती।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि 31 मार्च 2023 की स्थिति में, तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार राज्य में कुल 1,352 एसएस में से 875 एसएस में 5,53,119 केवीएआर की कुल क्षमता के सीबी स्थापित किए गए हैं। आगे यह भी कहा गया कि आवश्यकता के अनुसार शेष एसएस पर उचित क्षमता के सीबी स्थापित किए जाएंगे।

(ग) स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) उपकरण की स्थापना न करना

विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के उपवाक्य 11.58 के अनुसार, लाइसेंसधारी को खपत की निगरानी और बिजली की चोरी के रोकथाम के उद्देश्य से प्राथमिकता के आधार पर सभी 50 हॉर्स पावर (एचपी) और उससे अधिक के कनेक्शनों पर दुरस्थ मीटरिंग उपकरण[21] की स्थापना करने का प्रयास करना होगा। लाइसेंसधारी को इसके बाद 25 एचपी तक के एलटी कनेक्शन पर दुरस्थ मीटरिंग उपकरण स्थापित करने का प्रयास करना होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 31 मार्च 2022 को चयनित सर्किलों में, 15 एचपी और उससे अधिक भार वाले निम्न दाब (एलटी) के उपभोक्ताओं की संख्या 13,658 थी। इन 13,658 उपभोक्ताओं में से 4,909 उपभोक्ताओं (35.94 प्रतिशत) के मामले में एएमआर प्रणाली स्थापित नहीं की थी तथा 4,249 उपभोक्ताओं (31.11 प्रतिशत) के मामलें में स्थापित एएमआर प्रणालियों के विद्युत मोडेम काम नहीं करने के कारण एएमआर प्रणाली से मीटर रीडिंग नहीं की जा रही थी।

यह विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रति कंपनी की लापरवाह दृष्टिकोण को इंगित करता है। परिणामस्वरूप, एएमआर प्रणाली स्थापित करके बिजली की खपत की निगरानी और चोरी की रोकथाम का उद्देश्य पुर्ण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि कंपनी में सभी एचटी कनेक्शन एएमआर के साथ स्थापित हैं, 50 एचपी और उससे अधिक के 79 प्रतिशत, 15–50 एचपी कनेक्शन के 44 प्रतिशत एएमआर के साथ पूर्ण

---

[17] कुल उत्पन्न विद्युत में एक्टिव और रिएक्टिव ऊर्जा शामिल होती है। रिएक्टिव ऊर्जा अप्रयुक्त ऊर्जा है जबकि एक्टिव ऊर्जा वास्तविक ऊर्जा है।

[18] पावर फैक्टर एक्टिव ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात है।

[19] केवीएआर प्रतिक्रियाशील शक्ति का एक माप है। सरल शब्दों में प्रतिक्रियाशील शक्ति एक जनरेटर में प्रतिक्रियाशील घटकों द्वारा उत्पन्न अप्रयुक्त शक्ति है।

[20] ₹ 15,687 प्रति यूनिट की दर से।

[21] स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) आधारित मीटर रीडिंग बिलिंग दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह आकलित बिलिंग को रोकता है।

हो चुके हैं। स्मार्ट मीटरिंग के लिए सभी 15–50 एचपी कनेक्शन आरडीएसएस में शामिल हैं।

(घ) स्मार्ट मीटरिंग

स्मार्ट मीटर हस्तक्षेप रहित होते हैं तथा दूर से ही इसकी रीडिंग ली जा सकती हैं, जिससे चोरी में कमी लाने, मांग पक्ष प्रबंधंन गतिविधियों के कार्यान्वयन और उपभोक्ता सहभागिता में मदद मिलती हैं। कंपनी द्वारा ₹ 167.50 करोड[22] की लागत से 200 यूनिट/माह[23] से अधिक खपत वाले 2.79 लाख उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग करनी थी। हालांकि, 31 मार्च 2022 तक कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी। प्रगति की कमी का तर्कसंगत कारण अभिलेखों में नही पाया गया न ही कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि 100 प्रतिशत उपभोक्ताओं (कृषि उपभोक्ताओं, उच्च दाब वाले उपभोक्ताओं और निम्न दाब चालू ट्रांसफार्मर मीटर कनेक्शनों को छोड़कर) के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को आरडीएसएस में शामिल किया गया है, जिसके लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं।

यद्यपि, स्मार्ट मीटर लगाने से वितरण हानि में कमी लाने का उद्देश्य कृषि उपभोक्ताओं के मामले में पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसे आरडीएसएस में शामिल नहीं किया गया है।

6.1.7.3 खराब मीटर और आकलित बिलिंग के संबंध में सीएसईआरसी के निर्देशों का पालन न करना

सीएसईआरसी ने वर्ष 2017–18 के अपने टैरिफ आदेश द्वारा कंपनी को बंद/खराब मीटरों को समय पर बदलने और आकलित बिलिंग में कमी सुनिश्चित करने को निर्देशित किया (मार्च 2017) था। सीएसईआरसी ने कंपनी को निर्धारित सीमा के अंदर खराब मीटर का प्रतिशत नीचे लाने एवं आंकलन–आधारित बिलिंग को लाने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश भी दिया था (फरवरी 2019)। इसके अलावा, सीएसईआरसी (विद्युत वितरण के कार्य मानक) विनियमन, 2006 एवं 2020 में खराब मीटरो की सीमा कुल मीटरो की संख्या के 2.5 प्रतिशत तक निर्धारित की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी खराब मीटरों की संख्या को निर्धारित सीमा में नियंत्रित करने में विफल रही और निम्नलिखित मामलों में आकलित आधारित बिलिंग करने का सहारा लिया, जिसके कारण बिलिंग दक्षता का वास्तविक मूल्याकंन नहीं किया जा सकाः

(क) खराब मीटरों को बदलना

छः चयनित सर्किलों के, वर्ष 2017–18 से 2021–22 के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि खराब मीटरों का प्रतिशत मानदंडों से अधिक था और उका प्रतिस्थापन कम था, जैसा कि ***तालिका 6.1.5*** में दर्शाया गया हैः

---

[22] 2,79,171 उपभोक्ताओं X ₹ 6,000 प्रति स्मार्ट मीटरिंग की लागत।

[23] उदय योजना की दिशा–निर्देशानुसार।

तालिका 6.1.5: चयनित सर्किलों में खराब मीटरों को बदलने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष[24]	उपभोक्ताओं की संख्या (मीटरीकृत)	वर्ष के दौरान खराब मीटरों की संख्या (प्रारंभिक शेष सहित)	बदले गये कुल खराब मीटरों की संख्या	*मीटर बदलने का प्रतिशत*	एक माह के अंदर बदले गये मीटरों की संख्या (स्तंभ–4 का)	वर्ष के अंत में खराब मीटर	खराब मीटरों का *प्रतिशत*
1	2	3	4	5 (4/3) *100	6	7 (3–4)	8 (7/2) *100
2017–18	14,82,043	71,661	55,026	76.79	9,892	16,635	1.12
2018–19	16,08,048	1,23,296	45,115	36.59	8,817	78,181	4.86
2019–20	16,50,274	2,49,616	1,71,953	68.89	19,527	77,663	4.71
2020–21	16,95,011	2,25,714	1,58,821	70.36	21,699	66,893	3.95
2021–22	17,38,957	2,42,845	1,13,778	46.85	9,137	1,29,067	7.42

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो से संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2017–2018 से 2021–22 की अवधि में चयनित सर्किलों में खराब मीटर का प्रतिशत 1.12 से 7.42 के मध्य रहा। वर्ष 2018–19 से 2021–22 के दौरान खराब मीटरों का प्रतिशत सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित 2.5 प्रतिशत के मानक से अधिक था। यह इंगित करता हैं कि कंपनी ने सीएसईआरसी के निर्देशों का पालन नहीं किया।

यदि किसी निम्न दाब उपभोक्ता का मीटर खराब पाया जाता हैं, तो इसे शहरी क्षेत्रों में 15 दिनों के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों के अंदर बदल दिया जाना चाहिए। किन्तु, तात्कालिक मामले में 4.76 लाख[25] खराब मीटरों को 30 दिनों से ज्यादा दिनों के पश्चात् बदला गया था, जो कि विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों के अनुसार न होने के कारण सही नहीं था। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान खराब मीटरों के बदलने का प्रतिशत कम था और 90 प्रतिशत होने के एवज में 36.59 प्रतिशत और 76.79 प्रतिशत के मध्य था। इसके साथ ही, 1,29,067 खराब मीटरों को बदलने की लागत ₹ 33.88 करोड[26] होगी।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि अधिकत्तम खराब मीटर बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं के थे, जो कि दुरस्थ स्थानों पर होने और परिसरों के बंद होने के कारण बदलना मुश्किल हैं। इसके अलावा, कोविड–19 महामारी के कारण खराब मीटरों को बदलने में बाधा उत्पन्न हुई। आगे यह कहा गया कि लेखापरीक्षा आपत्ति में दिए गए आंकड़े संबंधित सर्किलों के आर–15 विवरण पत्रक के साथ मेल नहीं खाते थे। यह भी कहा गया कि आरडीएसएस में सभी उपभोक्ता मीटरों (कृषि को छोड़कर) को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में बदल दिया जायेगा और इसलिए खराब मीटर की समस्या का हल अधिकतम सीमा तक हो जाएगा।

तथ्य यह है कि न केवल खराब मीटरों के प्रतिशत मानदंडों की सीमा के बाहर थे, बल्कि खराब मीटरों के बदले जाने में भी कोई सुधार नहीं देखा गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा आपत्ति और आर–15 विवरण प्रत्रको में आंकड़ों के बेमेल होने के बारे में तर्क भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति चयनित सर्किलों द्वारा संधारित और

[24] वर्ष 2017–18 से 2018–19 के ऑकड़े महासमुंद सर्किल ने संधारित नही किए है।

[25] 5,44,693 (तालिका 6.1.5 के स्तंभ–4 का योग)– 69,072 (तालिका 6.1.5 के स्तंभ–6 का योग)= 4,75,621।

[26] ₹ 2,624.70 प्रति इकाई की दर से।

प्रदत्त आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा, सर्किल कार्यालय द्वारा संधारित खराब मीटरों की आकड़ों और आर–15 विवरण पत्रक में दिखाए गए आंकड़ों का बेमेल होना भी कंपनी के उदासी दृष्टिकोण का संकेत है।

इसके अलावा, जैसा कि कंपनी सभी बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं के खराब मीटरों नही बदला, गलत ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखापरीक्षा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता हैं।

(ख) मीटर रीडिंग के अभाव में मीटर वाले उपभोक्ताओं की आकलित बिलों मे वृद्धि

अभिलेखों की जांच में, पाया गया कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के मध्य, कंपनी द्वारा 9.64 करोड़ मामलों में से 2.08 करोड़ (21.61 प्रतिशत) मामलों में बिना मीटर रीडिंग के बिल जारी किए। 2.08 करोड़ मामलों में से 0.60 करोड़ मामलें (28.85 प्रतिशत) खराब/बंद मीटरों सें संबंधित है, जबकि शेष 1.48 करोड़ मामलें (71.15 प्रतिशत) सभी छह सर्किलों में कार्यशील मीटर होने के बावजूद खपत् के आकलन के आधार पर बिल जारी किए गए थे, जैसा कि ***तालिका 6.1.6*** में दिखाया गया है। कार्यशील मीटर होने के बावजूद खपत के आकलन का औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया और न ही कंपनी द्वारा उत्तर में प्रस्तुत किया गया।

तालिका 6.1.6: नमूना जाँच की गयी सर्किल में वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान आकलित बिलों को दर्शाने वाला विवरण

सर्किल का नाम	उपभोक्ताओं को जारी बिलों की संख्या	जहां मीटर काम कर रहे थे वहां आकलन आधार पर जारी किए गए बिलों की संख्या	आकलित खपत के आधार पर जारी किए गए बिलों की संख्या, जहां मीटर खराब/जले हुए थे	कुल आकलित मामलों की संख्या	आकलित मामलों में बेची गयी इकाई (एमयू)	कुल बेची गयी इकाई (एमयू)	आकलित मामलों का प्रतिशत	आकलित इकाईयों का प्रतिशत
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8=(5/2)%	9=(6/7)%
रायपुर शहर–1	1,54,84,882	4,348	74,363	78,711	9.36	4,222.67	0.51	0.22
महासंमुद	2,11,32,847	54,50,421	24,80,582	79,31,003	2,267.97	5,387.53	37.53	42.10
राजनांदगॉव	2,29,91,554	19,90,055	21,35,264	41,25,319	815.71	4,063.21	17.94	20.08
बिलासपुर शहर	74,03,147	8,331	1,53,876	1,62,207	18.22	1,929.44	2.19	0.94
कवर्धा	1,03,11,127	48,22,274	5,70,477	53,92,751	1,067.62	2,655.89	52.30	40.20
जांजगीर–चांपा	1,90,42,426	25,22,119	6,14,715	31,36,834	157.64	3,559.18	16.47	4.43
सकल योग	**963,65,983**	**1,47,97,548**	**60,29,277**	**2,08,26,825**	**4,336.52**	**21,817.92**	**21.61**	**19.88**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जिन मामलों में कंपनी ने उपभोक्ताओं को आकलित बिल जारी किए, उनकी संख्या कुल मामलों के 0.51 प्रतिशत और 52.30 प्रतिशत के मध्य थी। आगे, वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान, उपभोक्ताओं को बेची गई/बिल की गई कुल इकाइयों का 0.22 प्रतिशत और 42.10 प्रतिशत के बीच

का एक बडा हिस्सा आकलन[27] के आधार पर आगणित किया गया था। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को बेची गई/बिल की गई 21,817.92 एमयू इकाईयों से 4,336.52 एमयू इकाईयाँ (19.88 प्रतिशत) आकलित खपत पर आधारित थी, जैसा कि ***चार्ट 6.1.3*** में दर्शाया गया हैं:

चार्ट 6.1.3: चयनित सर्किलों में बेची गई कुल इकाईयों के विरूद्व आकलित मामलों में बेची गई इकाईयों को दर्शाने वाला चार्ट

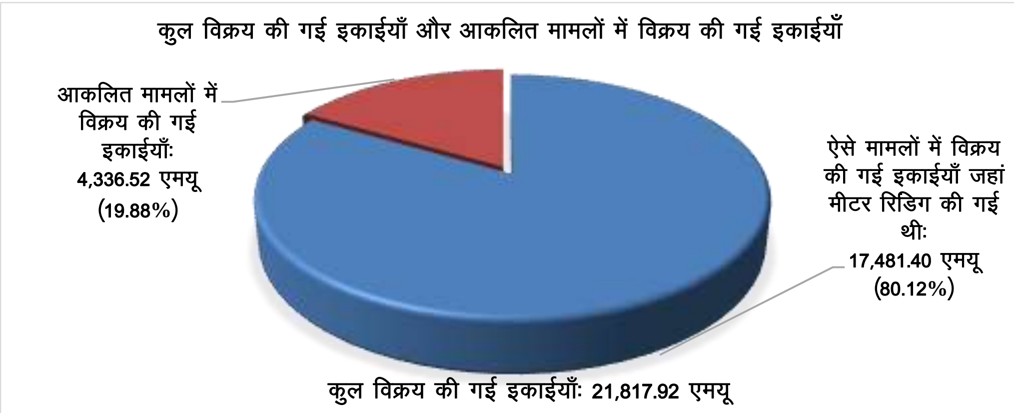

आकलन आधारित बिलिंग और दोषपूर्ण/बंद मीटरों की उच्च घटनाएं खराब बिलिंग दक्षता का संकेत है,जो वितरण हानि में वृद्धि को बढावा देती है।

लेखापरीखा आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि आकलन किए गए मामलों की उच्च घटनाएँ और ऐसे मामलों में खपत की गई इकाईयों का आकलन मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और कृषि उपभोक्ताओं से संबंधित था, जहां मासिक मीटर रिडिंग लेना व्यवहारिक रूप से कठिन है। आगे यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बीपीएल उपभोक्ताओं के प्रकरण में आकलन मामलों के साथ–साथ खपत के आकलन की भी आवश्यकता नहीं होगी। निर्गमन बैठक में, छत्तीसगढ शासन ने बताया कि कोविड–19 महामारी के कारण खराब मीटरों को बदलने में बाधा आ रही थी और फील्ड अधिकारियों को खराब मीटरों को शीघ्र बदलने के लिए निर्देशित किया जा रहा हैं।

मीटर लगाने से बीपीएल उपभोक्ताओं के मामलों में आकलित बिलिंग में कमी आयेगी और कृषि उपभोक्ताओं के संबंध में उत्तर मौन है। साथ ही सप्लाई कोड में उपभोक्ताओं की श्रेणी का विचार किए बिना खराब मीटरों के मामलें में आकलन आधारित बिलिंग की अनुमति दी।

इसके अलावा, चूँकि कंपनी ने सभी बीपीएल ओर कृषि उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग सुनिश्चित नही की, इसलिए गलत ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखापरीक्षा की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

6.1.7.4 प्रवर्तन गतिविधियों में कमियाँ

बिजली चोरी की रोकथाम का उद्देश्य लाइन हानियों को कम करना और बिलिंग दक्षता में सुधार करना है। वितरण तंत्र पर न्यूनतम लाइन हानियाँ प्राप्त करने और उपभोक्ताओं/गैर–उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा की अनधिकृत उपभोग को कम करके कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए, सतर्कता और परिचालन एवं संधारण अधिकारी उपभोक्ताओं के परिसरों की औचक निरीक्षण करते हैं और ऊर्जा की चोरी और अनधिकृत भार वृद्धि के लिए उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाते हैं। विद्युत अधिनियम,

[27] जून 2019 की अवधि से पहले कंपनी द्वारा आकलित मामलों में उपभोक्ताओं को बेची गई इकाइयों से संबंधित ऑकड़ों का संधारण नहीं किया गया था।

2003 (अधिनियम) की धारा 135 और सप्लाई कोड (उपवाक्य 11.29) के प्रावधान के अनुसार, ऊर्जा की चोरी एक अपराध है, जिसके लिए तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसके अलावा, सप्लाई कोड, 2011 (उपवाक्य 11.31) में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी, बिजली चोरी की जानकारी होने पर, 24 घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन में लिखित रूप में इस तरह के अपराध की घटना से संबंधित शिकायत दर्ज करायेंगी। उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की चोरी/अनधिकृत उपयोग किये जाने पर खपत का आकलन किया जाता है और सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों[28] के अनुसार दंडात्मक बिलिंग की जाती है।

छः चयनित सर्किलों के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा बिलिंग दक्षता बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं के यहां छापा/जाँच के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे। सतर्कता विंग और परिचालन एवं संधारण संभागों द्वारा की जाने वाली जांच के लिए अलग–अलग लक्ष्य निर्धारित किए थे। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों, की गई छापेमारी और पकड़े गए चोरी के मामलों की संख्या, दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का विवरण ***परिशिष्ट–6.1.5*** में दिया गया था।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान परिचालन एवं संधारण और सतर्कता जांच के दौरान पंजीकृत बिजली की चोरी/अनधिकृत उपयोग के मामलों की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि कुल 4,08,398 मामलों की जांच की गई, जहाँ ₹ 93.83 करोड़ का जुर्माना वसूल किया जाना था। हालांकि, कंपनी केवल ₹ 39.51 करोड़ की हीं वसूली कर सकी और ₹ 54.32 करोड़ (57.89 प्रतिशत[29]) आज दिनांक (अक्टूबर 2022), तक अप्राप्त रही जैसा कि ***चार्ट 6.1.4*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 6.1.4: चयनित सर्किलों में वसूली योग्य राशि और उसके विरूद्व की गयी वास्तविक वसूली को दर्शाने वाला चार्ट

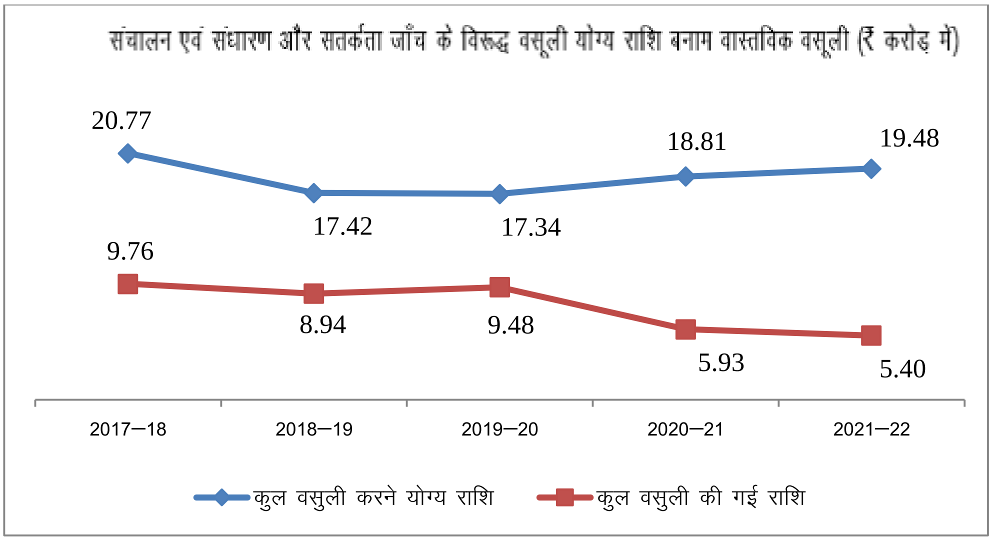

समीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने 11,221 चोरी के मामले पायें, जिनमें से 2,021 (18.01 प्रतिशत) मामलों में पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (एफआईआर) करने के लिए सूचित किया गया और शेष 9,200 मामलों में कंपनी द्वारा पुलिस को सूचित नहीं किया गया। इसके अलावा, पुलिस को सूचित किए गए 2,021 मामलों में से, केवल 1,946 मामलों में पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। सभी चोरी के मामलों

[28] विद्युत सप्लाई कोड के उपवाक्यों 11.9 से 11.13 और 11.21 से 11.26।

[29] कंपनी द्वारा वसूल की जाने वाली कुल राशि ₹ 54.32 करोड़ x100/₹ 93.83 करोड (परिचालन एवं संधारण और सतर्कता जाँच से वसूली योग्य राशि)।

की पुलिस को सूचित न करने का औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया और न हीं कंपनी द्वारा उत्तर में प्रस्तुत किया। कंपनी ने 75 मामलों में पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई कार्रवाही नहीं की। इससे कंपनी की संग्रहण दक्षता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा कोविड–19 महामारी के सक्रंमण के कारण वर्ष 2020–21 को छोड़कर वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए मैदानी इकाइयों द्वारा किये जाने वाले छापे/जाँच और स्थल पर राजस्व माँग बढ़ाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये। सभी चयनित सर्किलों द्वारा वर्ष 2017–18 से 2021–22 (वर्ष 2020–21 को छोड़कर) के लिए सतर्कता जाँच और परिचालन एवं संधारण जाँच के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किए। छापे/जाँच के दौरान बड़ी संख्या में अनियमितताओं के पाये जाने के बावजूद, चयनित सर्किलों ने छापे/जाँच के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन नहीं किया। इससे यह भी दर्शित होता है कि कंपनी ने छापेमारी/जाँच में लापरवाह दृष्टिकोण और गैर–जिम्मेदाराना रवैया अपनाया।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2022–23 और 2023–24 की अवधि के दौरान बिजली की चोरी/कदाचार में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध बकाया ₹ 6.54 करोड़ की राशि वसूल की गई है और शेष राशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

6.1.7.5 ऊर्जा चोरी के आकलन और परिणाम स्वरूप कम बिलिंग के संबंध में सप्लाई कोड के प्रावधानों का पालन न करना

सप्लाई कोड, 2011 (उपवाक्य 11.29) में कहा गया है कि बिजली की चोरी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगी। इसके अलावा (उपवाक्य 11.33) प्रावधान किया गया है कि आकलित राशि ऊर्जा की चोरी का पता लगने की तारीख से पहले 12 महिने की अवधि या चोरी की सही अवधि, यदि निर्धारित की गई हो, जो भी कम हो, के लिए टैरिफ के अनुसार उपभोक्ता के संबंधित श्रेणी के लिए लागू दर के ढाई गुना राशि के बराबर होगी।

परिचालन और संधारण और सतर्कता जाँच से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि छः चयनित सर्किलों में से पांच[30] में, उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की चोरी के दौरान खपत की गई ऊर्जा का आकलन मैदानी कार्यालयों द्वारा बिना किसी कारण/औचित्य दर्ज किए 12 महीनें से कम अवधि के लिए किया गया था। मौजूदा संहिता प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को ऊर्जा चोरी की तारीख से पहले बारह महीनें की अवधि के लिए आकलन के आधार पर मांग किया जाना चाहिए था। कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि जुर्माना राशि विद्युत सप्लाई कोड, 2011 में निर्धारित 2.5 गुना के विरूद्व सामान्य टैरिफ के 1.5 गुना आगणित की गई थी। इसके अलावा, कुछ मामलों में 100 प्रतिशत से कम का भार कारक (लोड फैक्टर) लागू किया गया था यह भी विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

इसके परिणामस्वरूप न केवल उपभोक्ताओं द्वारा की गई ऊर्जा चोरी के आकलन के संबंध में सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ, बल्कि ₹ 2.65 करोड़[31] की कम बिलिंग हुई और परिणामस्वरूप ऊर्जा चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा, संहिता के प्रावधानों में दिए गए प्रावधान से कम चोरी के मामलों में आकलन करना, ऊर्जा चोरी में शामिल उपभोक्ताओं को भविष्य में भी अवैध परिपाटी जारी रखने के लिए प्रेरित करता है।

---

30 महासमुंद, बिलासपुर शहर, राजनांदगाँव, कवर्धा और जांजगीर–चांपा।

31 महासमुंद ₹ 1.32 करोड़ + बिलासपुर शहर ₹ 0.24 करोड़ + राजनांदगाँव ₹ 0.42 करोड़ + कवर्धा ₹ 0.49 करोड़ + जांजगीर–चांपा ₹ 0.18 करोड़ = ₹ 2.65 करोड़

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2016–17 में बिना कनेक्शन लिए जन उपयोगी सेवा के लिए उपयोग किए गए सरकारी कनेक्शनों की अवधि का अस्थायी कनेक्शन मानकर नियमित करने के लिए कंपनी द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, उसके अनुसार सामान्य टैरिफ का 1.5 गुना बिल किया जाना था। यदि कनेक्शन के उपयोग की अवधि सिद्व नहीं हुई थी, तो छह महीने का बिल किया जाना था। आगे यह भी कहा कि सरकारी कनेक्शन के अलावा अन्य मामलों में बिलासपुर शहर और जांजगीर–चांपा सर्किल द्वारा अतिरिक्त बिल जारी किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कंपनी द्वारा सरकारी कार्यालयों जो बिना कनेक्शन के विद्युत उपयोग कर रहे थे के कनेक्शनों को नियमित करना, अनाधिकृत उपयोग की अवधि को अस्थायी कनेक्शन मानकर छह माह का बिल करना विद्युत सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

निर्गमन बैठक (अगस्त 2023) के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि बिजली चोरी के आकलन में सप्लाई कोड के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा मैदानी कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।

6.1.7.6 राज्य सरकार से सब्सिडी का अधिक दावा

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषक जीवन ज्योति योजना (केजेजेवाई) की शुरूआत की गई (2 अक्टूबर 2009)। केजेजेवाई में, 3 हार्स पावर (एचपी) तक और 3 एचपी से 5 एचपी तक के पंप कनेक्शन के लिए बिजली का उपयोग करने वाले किसानों को क्रमशः 6,000 इकाई और 7,500 इकाई बिजली की खपत प्रति वर्ष मुफ्त थी। इससे अधिक किसी भी अतिरिक्त खपत का बिल संबंधित कनेक्शनों पर किया जाना था। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) श्रेणीयों के किसानों को बिना किसी शुल्क और बिना किसी खपत सीमा के बिजली की आपूर्ति की जानी थी। इसके बाद, छत्तीसगढ़ शासन ने केजेजेवाई उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट दर भुगतान विकल्प शुरू (19 सितंबर 2013) किया। फ्लैट दर चुनने की स्थिति में, उपभोक्ता को खपत की गई इकाईयों की संख्या पर ध्यान दिए बिना ₹ 100 प्रति एचपी बिजली प्रति माह प्रभार का भुगतान करना था। केजेजेवाई के अंतर्गत बिजली की खपत के बिलों की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई थी।

चार चयनित सर्किलों में चार[32] टैरिफ श्रेणियों[33] से केजेजेवाई मीटरीकृत लाभार्थी कृषि पंप कनेक्शन (गैर–फ्लैट दर का विकल्प चुनने वाले) द्वारा बिजली की खपत से संबंधित वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के सिस्टम एप्लीकेशन और प्रोडक्ट्स (एसएपी[34]) सॉफ्टवेयर अभिलेखों की जांच करने पर, यह पाया गया कि एचपी[35] की प्रत्येक श्रेणी में, एक महीने में बिल की गई इकाइयाँ कृषि पंप की अधिकतम निर्धारित क्षमता खपत की विद्युत इकाइयों से अधिक थीं, जो महीने में बिल की जाती अगर इन पंपों को महीने में सभी 30 दिनों में 24 घंटे निर्बाध रूप से संचालित किया जाता। परिणामस्वरूप, पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ शासन को 213.37 एमयू का अतिरिक्त बिल भेजा

---

32 छः चयनित इकाईयों में से, यह परिपाटी चार चयनित इकाईयों में देखा गया अर्थात् एसई (सर्किल), महासमुंद, एसई (सर्किल), राजनांदगॉव, एसई (सर्किल), कवर्धा और एसई (सर्किल), जांजगीर–चांपा।

33 एलव्ही3एजी3एमबी21, एलव्ही3एजी3केजे21, एलव्ही3एजी5एमबी21 और एलव्ही3एजी5केजे21।

34 सैप सॉफ्टवेयर सत्य के एकल दृश्य के साथ कई व्यावसायिक कार्य प्रदान करता है। यह कंपनियों को, विभिन्न कार्यात्मक इकाईयों के कार्मचारियों को पूरे उद्यम में वास्तविक समय की जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करके व्यवसायिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंध करने में मदद करता है।

35 1, 2, 3, 4 और 5

गया और सब्सिडी के रूप में ₹ 145.51 करोड़ की अतिरिक्त राशि का दावा किया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट–6.1.6*** में विस्तृत है।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि 3 एचपी या 5 एचपी की नेम–प्लेट रेटिंग वाले कृषि पंप जरूरी नहीं कि उक्त क्षमता के हों और पंपों की मोटरों की रिवाइंडिंग या जल स्तर की अधिक गहराई के कारण 3 एचपी या 5 एचपी के पंप अधिक बिजली खींचते हैं और ऐसे मामलों के नेम प्लेट रेटिंग की तुलना में अधिक इकाई की खपत होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन का उद्देश्य केवल 5 एचपी तक की क्षमतावाले पंप सेट की आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना था। लेकिन, उचित निगरानी के अभाव में, कंपनी ने लाभार्थियों को अधिकतम संभव खपत से अधिक बिजली का उपभोग करने की अनुमति दी। परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन की लागत पर अनुचित रूप से योजना का लाभ प्रदान किया गया, जो आदेशित न होने से, अनियमित था।

6.1.8 राजस्व संग्रहण

सभी श्रेणियों के संबंध में बिल किए गए राजस्व को संबंधित वितरण केंद्रों पर और कंपनी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त संग्रहण एजेंसियों द्वारा एकत्र किया जाता है। कंपनी की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि देय राजस्व को शीघ्र एकत्र किया जाए और बकाया राशि एकत्रित न होने दिया जाए।

6.1.8.1 संग्रहण दक्षता लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

सभी उपभोक्ताओं को, मीटर रीडिंग और अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की स्थिति में आकलन के अनुसार, उनके द्वारा खपत की गई ऊर्जा के आधार पर बिल किया जाता है। हालाँकि, चयनित सर्किलों द्वारा बिल की गई संपूर्ण राशि वसूल नही की गई, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि हुई। वर्तमान में जारी बिलों और बकाया बिलों के विरुद्ध, कंपनी के वितरण केंद्र (डीसी) राजस्व वसूलते हैं और उपभोक्ताओं द्वारा कंपनी को विभिन्न ऑनलाइन माध्यम से भी भुगतान किया जाता है। संग्रहण दक्षता राजस्व के वसूली के निष्पादन पर आधारित है। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के मध्य कंपनी की संग्रहण दक्षता 99.66 प्रतिशत के लक्ष्य[36] के विरूद्ध 95.60 प्रतिशत और 104.89 प्रतिशत (लेखापरीक्षा द्वारा ***तालिका 6.1.1*** में जैसा की गणना की गई हैं) के बीच रही।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि में चयनित सर्किलों की संग्रहण दक्षता (प्रतिशत में) (जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई है) का विवरण ***परिशिष्ट–6.1.7*** में विस्तृत है और ***चार्ट 6.1.5*** में दर्शाया गया है।

[36] संग्रहण दक्षता के संबंध में सीएसईआरसी के लक्ष्य के अभाव में, उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) के लक्ष्य को इस संबंध में बेंचमार्क लक्ष्य माना गया था।

चार्ट 6.1.5: सर्किलों के नमूना जाँच में संग्रहण दक्षता प्रतिशत को दर्शाने वाला चार्ट

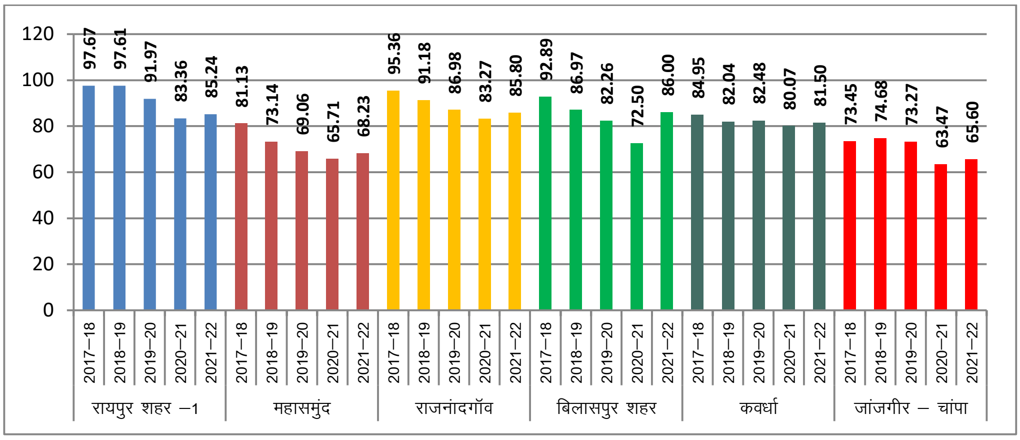

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के मध्य नमूना इकाइयों में किसी ने भी 99.66 प्रतिशत संग्रहण दक्षता[37] का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। संग्रहण दक्षता लक्ष्य हासिल न करने के मुख्य कारण उपभोक्ताओं के बिजली आपूर्ति को विच्छेदित करने में कंपनी की निष्क्रियता, विच्छेदित किए गए उपभोक्ताओं के विरूद्व बकाया वसूली अधिनियम के अनुसार प्रभावी कार्रवाई का अभाव, सरकारी विभागों से बकाया, उपभोक्ताओं से उचित सुरक्षा निधि का संग्रहण न करना और परिचालन और संधारण और सतर्कता जांच के दौरान की गई मांग के विरूद्व वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाही का अभाव था।

लेखापरिक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए, शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2019–20 से 2021–22 के मध्य संग्रहण दक्षता कोविड–19 महामारी के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुई। इसके बाद कंपनी द्वारा संग्रहण दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी बताया गया कि वर्ष 2021–22 से 2022–23 के दौरान राज्य की समग्र संग्रहण दक्षता 100 प्रतिशत से अधिक थी। उत्तर से स्पष्ट हैं कि स्थिती में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे है, जो कि बेहतर संग्रहण दक्षता में परिलक्षित होता है।

6.1.8.2 संग्रहण दक्षता की गणना के लिए गलत सूत्र का प्रयोग करके संग्रहण दक्षता की रिपोर्टिंग

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि में, चयनित सर्किलों ने 85.26 प्रतिशत से 110.87 प्रतिशत के बीच संग्रहण दक्षता की रिपोर्टिंग की थी। चयनित सर्किलों ने वसूले गए बकाया राशि को राजस्व संग्रहण (अर्थात केवल अंश में) के रूप में माना था। हालांकि इसे कुल देय राजस्व (हर में) में नही शामिल किया था। कुल देय राशि में बकाया राशि शामिल करने पर, संग्रहण दक्षता 63.47 प्रतिशत और 97.67 प्रतिशत के मध्य थी। त्रुटिपूर्ण सूत्र के परिणामस्वरूप रिपोर्ट की गई संग्रहण दक्षता 1.36 से 28.26 प्रतिशत तक बढ़ गई थी (जैसा कि ***परिशिष्ट–6.1.7*** में दर्शित है)। ये यह दर्शाता है कि चयनित सर्किलों ने राजस्व वसूली का बेहतर निष्पादन दिखाने के लिए गलत संग्रहण दक्षता सूचित किया किन्तु चयनित सर्किलों ने बिल किए गये चालू वर्ष की पूर्ण राशि एवं पूर्व वर्षों में किये गये बिल की बकाया राशि वसूल नही कर सके। इसके अतिरिक्त, नमूना सर्किलों ने भारत सरकार द्वारा संग्रहण दक्षता के लिए निर्धारित सूत्र का उपयोग नहीं किया था।

---

[37] वर्ष के दौरान संग्रहण/पिछले वर्षो के बकाया सहित वर्ष के दौरान मांग।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि कंपनी द्वारा अंगीकृत की जा रही संग्रहण दक्षता सूत्र केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, इसलिए संग्रहण दक्षता की रिपोर्टिंग में कोई त्रुटि नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नमूना सर्किलों ने अपनी संग्रहण दक्षता की गणना में सब्सिडी पर विचार नहीं किया, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुरूप नहीं था।

निर्गमन बैठक (अगस्त 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए छः चयनित सर्किलों के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सूत्र लागू करके कंपनी द्वारा गणना की गई संग्रहण दक्षता का विस्तृत गणना पत्रक मांगा गया। प्रतयुत्तर में कंपनी ने वर्ष 2019–20 से 2021–22 के लिए इसे प्रस्तुत किया, किन्तु अपनी संग्रहण दक्षता की गणना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सूत्र को प्रयोग नहीं किया।

6.1.8.3 राजस्व में बकाया का संचयन

कंपनी/संगठन की सफलता कुशल वित्तीय प्रबंधन पर निर्भर करती है, जो देय/बकाया राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करें। कंपनी के वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, राजस्व बकाया को कम करने और संग्रहण दक्षता को बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि, इसके विपरीत उपभोक्ताओं के, वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के राजस्व मांग, संग्रहण और शेष विवरणों की समीक्षा में पाया गया कि बड़ी मात्रा में बकाया राशि लंबित थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

चयनित सर्किलों के बकाया राशि के विश्लेषण में पाया गया कि 31 मार्च 2022 तक 7,36,707 उपभोक्ताओं के विरूद्ध ₹ 603.74 करोड़ बकाया था, जो बहुत अधिक था और यह दर्शाता है कि इसे कम करने के लिए पर्याप्त प्रयास का अभाव था और राजस्व वसूली के लिए तंत्र अप्रर्याप्त थे। 31 मार्च 2022 को बकाया राशि का कनेक्टिविटी–वार विवरण***तालिका 6.1.7*** में दर्शाया गया है:

तालिका 6.1.7: चयनित सर्किलों में 31 मार्च 2022 को कनेक्टिविटी वार बकाया राशि का दिखाने वाली विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सर्किल का नाम	अविच्छेदित		विच्छेदित		योग	
		उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7(3+5)	8(4+6)
1	रायपुर शहर–1	59,806	83.45	10,705	9.57	70,511	93.02
2	महासमुंद	1,94,166	150.18	36,895	26.20	2,31,061	176.38
3	राजनांदगॉव	1,15,206	69.54	22,050	9.71	1,37,256	79.25
4	बिलासपुर शहर	18,136	30.11	14,622	22.55	32,758	52.66
5	कवर्धा	95,073	45.39	25,277	14.81	1,20,350	60.20
6	जांजगीर–चांपा	1,07,235	101.05	37,536	41.18	1,44,771	142.23
कुल योग		**5,89,622**	**479.72**	**1,47,085**	**124.02**	**7,36,707**	**603.74**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो से संकलित जानकारी)

(क) अविच्छेदित उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व की वसूली न होना

विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के उपवाक्य 10.20 में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि भुगतान में कोई चूक न होने की स्थिति में बिना अस्थायी विच्छेदन के अधिकतम तीन माह की युक्तिसंगत अवधि से अधिक न

रहे। आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि, लाइसेंस धारी का अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान में चूक से संबंधित सभी मामलों की नियमित निगरानी की जाए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी विच्छेदन और उसके बाद/स्थायी विच्छेदन हेतु समयबद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

चयनित सर्किलों में 31 मार्च 2022 को अविच्छेदित उपभोक्ताओं के विरूद्व बकाया राशि का आयु–वार विश्लेषण ***तालिका 6.1.8*** में दर्शाया गया है:

तालिका 6.1.8: चयनित सर्किलों मे अविच्छेदित उपभोक्ताओं के विरूद्व बकाया राशि का आयु–वार विभाजन

क्र. सं.	बकाया अवधि	अविच्छेदित उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4
1	6 महीनें तक	5,74,493	110.57
2	6 महीनें से 1 वर्ष	3,06,032	85.64
3	1 वर्ष से 2 वर्ष	2,57,488	123.46
4	2 वर्ष से 3 वर्ष	2,02,888	82.58
5	3 वर्षो से अधिक	1,55,907	77.47
योग			**479.72**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो से संकलित जानकारी)

लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसंबर 2022) कि अविच्छेदित उपभोक्ताओं पर ₹ 479.72 करोड़ के बकाया राशि का बड़ा संचयन था, जो दर्शाता है कि विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कंपनी भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित करने में विफल रही और ऐसे मामलों में बकाया राशि लगातार संचित होती रही। आयु–वार बकाया के विश्लेषण से यह पाया गया कि 31 मार्च 2022 को 3.71 लाख[38] अविच्छेदित उपभोक्ताओं पर ₹ 462.06 करोड़ की राशि बकाया थी, जो छः महीने से अधिक समय से बकाया थी, लेकिन 31 मार्च 2022 तक इसे विच्छेदित नहीं किया गया था।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2021–22 की तुलना में 2022–2023 में उपभोक्ताओं के कुल सक्रिय बकाया में 10.77 प्रतिशत की कमी आई है। आगे बताया गया कि बकाया राशि का बड़ा हिस्सा बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं से संबंधित था, जिनके मामले में कनेक्शनों को विच्छेदित करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। इसके अलावा, चल रहे मुकदमों के कारण कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित नही किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन चयनित सर्किलों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रही। इसके अलावा, कंपनी कानूनी विवाद रहित कनेक्शनों को विच्छेदित करने में असफल रही, परिणामस्वरूप विद्युत सप्लाई कोड के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ। इसके अलावा, कंपनी द्वारा उत्तर के समर्थन में विवादित मामलों की संख्या और ऐसे मामलों में बकाया राशि से संबंधित जानकारी नहीं प्रदान की।

(ख) विच्छेदित उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व की वसूली न होना

विच्छेदित उपभोक्ताओं के विरूद्व बकाया 31 मार्च 2022 की स्थिति में एक महीने से लेकर तीन वर्ष से अधिक के बीच था, जैसा कि ***तालिका 6.1.9*** में दर्शाया गया है:

[38] एक उपभोक्ता की दोहरी गणना से बचने के लिए, बकाया राशि की आयु–वार समूह पर विचार नही किया गया तथा कुछ या सभी आयु समूहों में बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं की केवल एक बार गणना की गई।

तालिका 6.1.9: चयनित सर्किलों में विच्छेदित उपभोक्ताओं के विरूद्व बकाया राशि का आयु–वार विभाजन

क्र. सं	बकाया अवधि	विच्छेदित उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
1	**2**	**3**	**4**
1	6 महीनें तक	23,637	5.67
2	6 महीनें से 1 वर्ष	23,308	6.57
3	1 वर्ष से 2 वर्ष	29,489	12.00
4	2 वर्ष से 3 वर्ष	35,329	14.46
5	3 वर्षो से अधिक	1,10,500	85.32
योग			**124.02**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो से संकलित जानकारी)

यह पाया गया कि 31 मार्च 2022 को चयनित सर्किलों में कुल 1,47,085 कनेक्शन[39] बिल की मांग राशि जमा न करने के कारण स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिए थे। किन्तु, कंपनी ने स्थायी रूप से विच्छेदित किए गए उपभोक्ताओं से ₹ 124.02 करोड़ के बकाया की वसूली के लिए ठोस कार्यवाही नहीं की।

लेखापरीक्षा अपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने (अक्टूबर 2023) कहा कि बकाया वसूली अधिनियम (डीआरए) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित मैदानी कार्यालयों द्वारा विच्छेदित उपभोक्ताओं के विरूद्व कार्यवाही की जा रही है।

(ग) शासकीय विभागों से देयों की वसूली न होना

कंपनी द्वारा विभिन्न शासकीय (केंद्र और राज्य) विभागों से अपने देयों की वसूली के लिए प्रभावी कदम नही उठाए गए, जो मार्च 2018 में ₹ 50.45 करोड़ से बढ़कर मार्च 2022 में ₹ 418.14 करोड़ (728.82 प्रतिशत) हो गयी, जैसा कि नीचे ***तालिका 6.1.10*** में दर्शाया गया है:

तालिका 6.1.10: चयनित सर्किलों में शासकीय विभागों के विरूद्व बकाया राशि दिखाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	31 मार्च 2018 को बकाया राशि	31 मार्च 2022 को बकाया राशि	चार वर्षो में बकाया राशि में वृद्धि	
				राशि	*प्रतिशत*
1	**2**	**3**	**4**	**5(4–3)**	**6(5/3)*100**
1	स्थानिय निकाय	35.78	383.39	347.61	971.52
2	शिक्षा	3.60	9.03	5.43	150.83
3	स्वास्थ्य	1.51	3.91	2.40	158.94
4	महिला एवं बाल विकास	1.00	3.89	2.89	289.00
5	अन्य	8.56	17.92	9.36	109.35
योग		**50.45**	**418.14**	**367.69**	**728.82**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो से संकलित जानकारी)

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि बकाया का भुगतान सामान्यतः मुख्यालय स्तर पर वर्ष के अंत में प्राप्त होता हैं। वर्ष 2016–17 से 2022–23 के दौरान शासकीय विभागों से कुल ₹ 2,011.40 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

[39] एक उपभोक्ता की दोहरी गणना से बचने के लिए, बकाया राशि की आयु–वार समूह की उपेक्षा की गयी तथा कुछ या सभी आयु समूहों में बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं की केवल एक बार गणना की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उत्तर में यह पुष्टि नहीं किया गया कि शासकीय विभागों द्वारा सभी देय राशि का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान शासकीय विभागों के विरूद्ध देय राशि में वृद्धि का रूझान दिखा, जो दर्शाता है कि देय राशि पूरी तरह वसूल नहीं की गई थी।

(घ) छत्तीसगढ़ शासन विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का उल्लघन

विद्युत सप्लाई कोड, 2011 (उपवाक्य 10.30) में प्रावधान है कि बकाया राशि विद्युत कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन पर, वितरण लाइसेंसी बकाया राशि की वसूली के लिए छत्तीसगढ़ शासन विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1961 (डीआरए) की सहायता लेगा। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं के स्थायी विच्छेदन के बाद, स्थायी विच्छेदन की तिथी से छः महीने के भीतर डीआरए के प्रावधानों के अनुसार राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) जारी करके बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए।

चयनित सर्किलों में राजस्व बकाया की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि, 31 मार्च 2022 की स्थिति में 1,31,230 उपभोक्ताओं[40] से ₹ 119.70 करोड़[41] की राशि वसूली के लिए लंबित थी, जिनके विद्युत कनेक्शन छह महीने से अधिक अवधि के लिए स्थायी रूप से विच्छेदित किए गए थे। हालांकि, इनमें से किसी भी उपभोक्ता को आरआरसी जारी नहीं किया, जो बकाया वसूली अधिनियम और सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। इससे कंपनी की संग्रहण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि कनेक्शन विच्छेदित किए उपभोक्ताओं के विरूद्ध तैनाती कार्यालयों द्वारा डी.आर.ए. के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पाया गया कि लेखापरीक्षा की अवधि के मध्य छः चयनित सर्किलों में एलटी उपभोक्ताओं से वसूली के लिए डीआरए के तहत आवश्यक कार्रवाही शुरू नहीं की गई थी।

6.1.8.4 स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं से अपेक्षित सुरक्षा जमा न करवाना और परिणामस्वरूप बकाया राशि का संचय होना

सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों (उपवाक्य 4.59) के अनुसार, कंपनी ऐसे किसी भी व्यक्ति को अस्थायी कनेक्शन जारी कर सकती है, जिसे अस्थायी उद्देश्य के लिए और एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए विद्युत सप्लाई की आवश्यकता हो। सप्लाई कोड, 2011 (उपवाक्य 4.59 (vi)) में यह प्रावधान किया गया था कि अस्थायी कनेक्शन देने से पहले आवेदकों को तीन महीने के अनुमानित बिल के बराबर राशि या मांगे गए अस्थायी कनेक्शन की अवधि के लिए, जो भी कम हो, उतने का भुगतान करना होगा, जिसकी समय–समय पर पुनःपूर्ति की जायेगी और कनेक्शन विच्छेदन के बाद भी अंतिम बिल में समायोजन किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2022) कि चयनित सर्किलों[42] में, 31 मार्च 2022 को, 70,965 स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ता जिन्होंने अस्थायी कनेक्शन लिया था, उनपर पर ₹ 7.97 करोड़ का बिजली शुल्क बकाया था। हालांकि, कंपनी ने इन उपभोक्ताओं के

[40] कुल काटे/विच्छेदित कनेक्शन 1,31,230 (रायपुर शहर–1 से 9,233, महासमुंद–32,551, राजनांदगांव–18,202, बिलासपुर शहर– 13,748, कवर्धा–22,118 और जांजगीर–चांपा–35,378)।

[41] ₹ 119.70 करोड़ (रायपुर शहर–1 से ₹ 7.65 करोड़, महासमुंद–₹ 25.47 करोड़, राजनांदगांव–₹ 9.25 करोड़, बिलासपुर शहर–₹ 22.25 करोड़, कवर्धा–₹ 14.35 करोड़ और जांजगीर–चांपा–₹ 40.73 करोड़)।

[42] महासमुंद के पिथौरा संभाग और जांजगीर–चांपा के अकलतरा संभाग को छोडकर।

लिए केवल ₹ 3.28 करोड़ की सुरक्षा जमा की थी, जिसे समायोजित नहीं (दिसंबर 2022) किया गया। जिसके परिणामस्वरूप,अस्थायी कनेक्शन लेने वाले इन 70,965 उपभोक्ताओं से सुरक्षा जमा राशि का कम संग्रहण हुआ, जैसा कि ***तालिका 6.1.11*** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.1.11: चयनित सर्किलों मे 31 मार्च 2022 की स्थिति में विच्छेदित किए गए अस्थायी उपभोक्ताओं की स्थिति और सुरक्षा जमा को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	सर्कल का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि	रखी गयी सुरक्षा जमा राशि
1	2	3	4	5
1	रायपुर शहर–1	2,869	0.39	0.38
2	महासमुंद	18,531	3.06	0.06
3	राजनांदगांव	40,118	1.66	2.40
4	बिलासपुर शहर	1,194	0.49	0.16
5	कवर्धा	2,587	0.82	0.15
6	जंजगीर–चांपा	5,666	1.55	0.13
कुल		**70,965**	**7.97**	**3.28**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो से संकलित जानकारी)

चूंकि इन उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई पहले ही विच्छेदित कर दी गई थी तथा अनुबंध अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए ₹ 4.69 करोड़[43] के बकाया राशि की वसूली की संभावना बहुत कम है। कंपनी ने बकाया वसूली के लिए कोई कार्रवाही शुरू नहीं की। जो यह दर्शाता है कि या तो सुरक्षा जमा का आकलन गलत किया था या इन उपभोक्ताओं को अस्थायी विद्युत सप्लाई/समय बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित सुरक्षा जमा एकत्र/पुनःमांग नहीं की गई थी।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि अंतिम बिल के आकलन और सुरक्षा जमा के समायोजन के बाद मैदानी कार्यालय बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाही कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप, छः चयनित सर्किलों में से चार में स्थायी रूप से विच्छेदन किए गए अस्थायी उपभोक्ताओं की बकाया राशि में कमी (जून 2023) आई है। पता न चल पाये उपभोक्ताओं के संबंध में कहा गया कि वसूली न किए जा सकने वाले बकाया राशि को विधिवत हटा दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विद्युत सप्लाई कोड में प्रावधान है कि अस्थायी कनेक्शन की अवधि के दौरान मीटर की नियमित रीडिंग ली जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक खपत के लिए देय शुल्क प्राप्त अग्रिम भुगतान से अधिक न हो। हालांकि, कंपनी विद्युत सप्लाई कोड के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नही कर सकी और परिणामस्वरूप, बकाया राशि सुरक्षा जमा राशि से अधिक हो गई।

6.1.8.5 राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करने के संबंध में विद्युत अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नही किया जाना

केजेजेवाई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि उपभोक्ता स्थिर दर का विकल्प चुनता है, तो उसे प्रति माह ₹ 100 प्रति एचपी की दर से विद्युत शुल्क का भुगतान करना होगा, चाहे उपयोगिक यूनिट की संख्या कुछ भी हो। इसके अलावा, 6,000/7,500 इकाइयों के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई की लागत की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जानी थी।

43 ₹ 7.97 करोड़–₹ 3.28 करोड़।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान, सीएसपीडीसीएल ने ₹ 4,925.99 करोड़[44] मूल्य की 10,335.68 एमयू बिजली बेची (उपभोक्ताओं से ली गई स्थिर दर पर विचार करने के बाद)। प्रतिपूर्ति योग्य विद्युत इकाई 5,612.93 एमयू[45] थी, जिसका मूल्य ₹ 2,762.57 करोड़ था। इसके अलावा, कंपनी को यह जानकारी थी कि 3 एचपी और 3 एचपी से 5 एचपी के मामले में क्रमशः 6,000 इकाई और 7,500 इकाई से अधिक बिजली की अतिरिक्त खपत छत्तीसगढ़ शासन से प्रतिपूर्ति योग्य नहीं थी। इसलिए, कंपनी द्वारा ₹ 2,163.43[46] करोड़ वहन किये जाने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2022) कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को सब्सिडी के अनुदान से प्रभावित होने वाली सीमा तक कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए राशि का अग्रिम भुगतान करना आवश्यक था, जो कि कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी को लागू करने की एक शर्त थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016–17 के टैरिफ आदेश के अंतिम सत्यापन के दौरान सीएसईआरसी ने कहा (28 फरवरी 2019) कि छत्तीसगढ़ शासन विद्युत अधिनियम, 2003 के सक्षम प्रावधान[47] (धारा 65) के अनुसार किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को सब्सिडी प्रदान कर सकती है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य विद्युत इकाईयों की खपत के लिए निर्धारित सीमा से अधिक स्थायी दर का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की खपत के कारण कंपनी पर पड़ने वाले बोझ के संबंध में समय–समय पर छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष मामला उठाया गया। हालांकि, कंपनी को हुई हानि की प्रतिपूर्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन से कोई धनराशि (दिसंबर 2022) प्राप्त नही हुई, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 2,163.43 करोड़ की हानि हुई।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, उपभोक्ताओं को 6,000 ⁄ 7,500 इकाई (3 एचपी ⁄ 5 एचपी पंप के लिए) तक की विद्युत सप्लाई की लागत राज्य शासन से प्रतिपूर्ति की गई थी। ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा खपत की गई अतिरिक्त यूनिट (6,000 ⁄ 7,500 इकाई से अधिक) के लिए, कंपनी ने समय–समय पर छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है। हालांकि, अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। यह भी कहा गया कि सीएसईआरसी इस मामले से अच्छी तरह अवगत है।

यह स्पष्ट है कि कंपनी को निर्धारित सीमा से अधिक बिजली की खपत पर पर्याप्त सब्सिडी राशि नहीं मिली, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी पर ₹ 2,163.43 करोड़ का बोझ पड़ा। इसके अतिरिक्त, 6,000 ⁄ 7,500 इकाई से अधिक खपत की गई अतिरिक्त इकाईयों के लिए सब्सिडी जारी करने पर उत्तर में कुछ नही बताया है।

---

44 जैसा कि कंपनी द्वारा गणना की गई हैं।

45 3 एचपी और 3 एचपी से 5 एचपी तक की क्षमता वाले कृषि पंपो के लिए क्रमशः 6,000 इकाई और 7,500 इकाई की दर से।

46 ₹ 4,925.99 करोड़ (10,335.68 एमयू)–₹ 2,762.57 करोड़ (5,612.93 एमयू)।

47 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार को राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग को कोई सब्सिडी देने की आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकार ऐसी सब्सिडी के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देगी और अग्रिम भुगतान करेगी। यदि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है, तो सब्सिडी देने के लिए राज्य सरकार के निर्देश प्रभावी नहीं होंगे और राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ इस संबंध में राज्य आयोग द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से लागू होंगे।

6.1.8.6 उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण और राज्य शासन से सब्सिडी का कम दावा करने के कारण राजस्व की हानि

केजेजेवाई में, 3 एचपी तक और 3 एचपी से 5 एचपी से अधिक तक के पंप कनेक्शन के लिए बिजली का उपयोग करने वाले किसानों को क्रमशः 6,000 इकाई और 7,500 इकाई बिजली की खपत प्रति वर्ष मुफ्त थी। यदि उपभोक्ता स्थायी दर चुनता है, तो उसे प्रतिमाह ₹ 100 प्रति एचपी की दर से विद्युत शुल्क का भुगतान करना पड़ता था चाहे इस मामले में खपत की गई इकाइयों की संख्या कितनी भी हो। इसके अलावा, 6,000/7,500 इकाई के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई की लागत की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया गया (दिसंबर 2022) कि वर्ष 2019–22[48] की अवधि के दौरान, छः चयनित सर्किलों[49] में से एक अर्थात् कवर्धा में, 3 एचपी से अधिक क्षमता वाले पंप कनेक्शनों की बिलिंग के कुल 51,850 मामलों में से, 15,678 को गलत तरीके से 3 एचपी में वर्गीकृत किया गया था। चुंकि छत्तीसगढ़ शासन को प्रति वर्ष 7500 यूनिट की अनुमति के स्थान पर 6000 यूनिट का दावा किया गया था, इसलिए गलत तरीके से वर्गीकृत किए गये प्रत्येक कनेक्शन के लिए 1,500 इकाइयों पर सब्सिडी का कम दावा किया गया था। परिणामस्वरूप, कंपनी को ₹ 15.74 करोड़ के राजस्व का हानि हुई, जिसका विवरण ***तालिका 6.1.12*** में दर्शाया गया है:

तालिका 6.1.12: कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से कम दावा की गई राशि को दर्शाने वाली विवरण

वर्ष	ऐसे मामलों की संख्या जहां 3 एचपी से अधिक के पंपो को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था	इकाईयों में कम दावा (प्रति कनेक्शन पर 1,500 इकाईयों की दर से)	औसत गणना दर (₹ प्रति इकाई)	सब्सिडी के कम दावे की राशि (₹ में)
1	2	3	4	5
2019–20	5,087	76,30,500	6.58	5,02,08,690
2020–21	5,292	79,38,000	6.50	5,15,97,000
2021–22	5,299	79,48,500	7.00	5,56,39,500
कुल				**15,74,45,190**

(स्त्रोतः कंपनी के एसएपी सिस्टम में उपलब्ध आंकड़ों से संकलित जानकारी)

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि एसएपी सिस्टम में तैयार मासिक लेजर के अनुसार, 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान गलत तरीके से वर्गीकृत किए गए पंप कनेक्शनों की संख्या 28 थी, जबकि लेखापरीक्षा में 15,678 पायी गई थीं। आगे कहा गया कि भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 5 एचपी के 28 कनेक्शनों में से 19 को गलत तरीके से 3 एचपी में वर्गीकृत किया गया था और 3 एचपी के नौ कनेक्शनों को 5 एचपी में वर्गीकृत किया गया था जिसमें अब सुधार किया जा चुका है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के एसएपी सिस्टम में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 5 एचपी पंप कनेक्शन के 15,678 मामलों को गलत तरीके से 3 एचपी में वर्गीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तर को सहायक दस्तावेजों के साथ पुष्ट नहीं किया गया था।

48 वर्ष 2019–20 में 16,295 प्रकरणों मे से 5,087, वर्ष 2020–21 में 17,064 प्रकरणों मे से 5,292 तथा वर्ष 2021–22 में 18,491 प्रकरणों मे से 5,299 प्रकरण दर्ज किए गए।

49 वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक चयनित सर्किलों मे रायपुर शहर–1, महासमुंद, राजनांदगांव, बिलासपुर शहर, कवधा और जांजगीर–चांपा।

6.1.8.7 राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करने में देरी से ब्याज का बोझ बढ़ा

छत्तीसगढ़ शासन ने समय–समय पर विद्युत आपूर्ति वाली सब्सिडी से संबंधित योजनाएं[50] शुरू कीं, जिन्हें कंपनी ने योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू किया। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कंपनी को छत्तीसगढ़ शासन से सब्सिडी मिली।

कंपनी के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान कंपनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत विद्युत आपूर्ति के लिए सब्सिडी के रूप में ₹ 19,310.20 करोड़ का दावा किया और 1 अप्रैल 2017 तक ₹ 874.68 करोड़ सब्सिडी का प्रारंभिक शेष था (एकल बत्ती कनेक्शन के संबंध में ₹ 9.43 करोड़ और कृषक जीवन ज्योति योजन के संबंध में ₹ 865.25 करोड़) जिसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 17,893.12 करोड़ की सब्सिडी जारी की। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक ₹ 2,291.76 करोड़ की सब्सिडी जारी नही की। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त सब्सिडी का अनुपात शून्य प्रतिशत से 128.64 प्रतिशत के मध्य रहा (जैसा कि ***परिशिष्ट–6.1.8*** में दर्शाया गया है)।

चूंकि छत्तीसगढ़ शासन ने समीक्षा अवधि के दौरान सब्सिडी की पूर्ण राशि जारी नहीं की, इसलिए कंपनी को खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान कंपनी ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ₹ 2,097.44 करोड़ का ऋण लिया और ₹ 214.77 करोड़ का (जैसा कि ***परिशिष्ट–6.1.8*** में विस्तृत है) ब्याज चुकाया जिसे सीएसईआरसी ने संबंधित वर्षों के टैरिफ आदेशों के माध्यम से वसूलने की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के भुगतान के कारण उच्च्य टैरिफ के रूप में उपभोक्ताओं पर ₹ 214.77 करोड़ का परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा है।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि राज्य सरकार की बजटीय बाधाओं के कारण दावे में देरी/कम भुगतान हुआ। इसके अलावा, पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यान्वयन पर, राज्य सरकार ने पूरे मौजूदा दावे के साथ–साथ लंबित दावों को जारी करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। तदनुसार, 31 मार्च 2022 तक ₹ 2,291.76 करोड़ के लंबित दावों के विरुद्ध राज्य सरकार ने ₹ 2,698 करोड़ के भुगतान करने की प्रतिबद्धता बतलाई हैं और उम्मीद है कि दावे की शेष राशि समय पर जारी कर दी जाएगी और जिसके परिणामस्वरूप ब्याज लागत में बचत होगी।

उपभोक्ताओं पर ब्याज के बोझ के संबंध में, यह कहा गया कि सीएसईआरसी ने मानक आधार पर टैरिफ में ऋण पर ब्याज की अनुमति दी है। अतः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय पर सब्सिडी जारी नहीं करने के कारण उपभोक्ताओं पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मई 2022 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई प्रतिबद्धता के विरुद्ध कंपनी द्वारा प्राप्त राशि का विवरण न तो अभिलेखों मे पाया गया और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए उत्तर में पाया गया। इसके अलावा, उपभोक्ताओं पर कोई वित्तीय बोझ नहीं होने के बारे में उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सब्सिडी जारी नहीं करने के कारण कंपनी को ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर ब्याज का बोझ पड़ा।

---

[50] गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) के उपभोक्ताओं को एकलबत्ती कनेक्शन, कृषक जिवन ज्योति योजना (केजेजेवाई), आधी बिजली बिल योजना, घरेलु उपभोक्ताओं को स्थायी दर और स्टील औद्योगिक के लिए छूट।

6.1.8.8 ऑनलाइन ऊर्जा बिलों के भुगतान के संबंध में सीएसईआरसी के निर्देशों का अनुपालन न करना

सीएसईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेश (वर्ष 2021–22) के अनुसार, ₹ पांच हजार से अधिक राशि के बिल का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन 01 अगस्त 2021 से प्रभावी किया जाएगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि चयनित सर्किलों[51] ने 1 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक कुल ₹ 37.36 करोड़ के विद्युत बिलों के लिए ऑनलाइन भुगतान के विरूद्ध ₹ 5,000 से अधिक के 12,505 चेक स्वीकार किए।

इसके परिणामस्वरूप सीएसईआरसी के आदेश का पालन नहीं हुआ, साथ ही कंपनी के खाते में राजस्व की शीघ्र वसूली का उद्देश्य भी प्रभावित हुआ।

लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि सीएसईआरसी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैदानी कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

6.1.8.9 अनादरित चेकों के विरुद्ध भुगतान वसूलने के लिए त्वरित कार्रवाही का अभाव

कंपनी के आदेश[52] (नवंबर 2008) के अनुसार, यदि उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल के भुगतान के लिए भेजा गया चेक बैंकर द्वारा बिना भुगतान किए वापस कर दिया जाता है, या तो इसलिए कि उस खाते में जमा राशि चेक को स्वीकार करने के लिए अपर्याप्त है या यह बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है, उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा और तुरंत ग्राहक को, बैंक से बिना भुगतान के चेक वापस आने की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एक नोटिस देना चाहिए, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान, या तो नकद या केवल डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान करने की मांग की जाएगी। हालांकि, यदि उपभोक्ता 15 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए, उसके बाद 30 दिनों के भीतर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

चयनित छः सर्किलों[53] के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2022) कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान, ₹ 5,000 से अधिक मूल्य के कुल मिलाकर ₹ 20.66 करोड़ के कुल 4,731 चेक बाउंस हुए। ₹ 2.23 करोड़ की राशि के 587 चेकों के मामले में, कंपनी ने उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा निर्धारित 30 दिनों के बदले 31 दिनों से 748 दिनों के मध्य की अवधि बीत जाने के बाद उनके चेक के बाउंस होने के बारे में सूचित किया। इसके अलावा, ₹ 8.05 करोड़ की राशि के 1,943 चेकों के मामले में, उपभोक्ताओं ने 15 दिनों की निर्धारित समय अवधि के बदले 16 दिनों से 1,141 दिनों के मध्य की अवधि बीत जाने के बाद भुगतान किया। हालांकि, कंपनी द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर बकाया राशि वसूलने के लिए कोई कार्रवाही नहीं की गई। 455 मामलों में अनादरित चेक के विरुद्ध कंपनी ने कंपनी के आदेश का उल्लंघन करते हुए नकद या डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के स्थान पर चेक में ₹ 2.17 करोड़ का भुगतान स्वीकार किया। यह

---

51 रायपुर शहर–1 के पूर्व एवं मध्य संभागों, महासमुंद के पिथौरा एवं सरायपाली संभागों को छोडकर।

52 परिपत्र क्रं. 05–01/बी एवं सीएम/4720 दिनांक 7/11/2008।

53 रायपुर शहर–1 के पूर्व संभाग, महासमुंद (वर्ष 2017–18 एवं 2018–19) और राजनांदगांव के डोंगरगांव संभाग को छोडकर।

भी पाया गया कि 103 मामलों में उपभोक्ता अब तक (दिसंबर 2022) ₹ 0.95 करोड़ का भुगतान करने में विफल रहे, लेकिन कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए कंपनी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कोई कानूनी कार्रवाही शुरू नहीं की गई।

यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ताओं से राजस्व की वसूली के लिए त्वरित कार्रवाई नहीं की।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अक्टूबर 2023) कि विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के कारण प्रगटीकरण में देरी हुई थी। यह भी कहा गया कि वर्तमान में, कंपनी ने आईटी प्रणाली को इस तरह से संशोधित और कार्यान्वित किया है कि चेक के अनादर के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने के बाद, एक सप्ताह के भीतर, आरएओ स्तर पर ही उपभोक्ता के खाते से राशि डेबिट हो जाती है और साथ ही उपभोक्ता को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाता है। इस तरह, भविष्य में ऐसी चूक की संभावना नगण्य होगी। ₹ 0.95 करोड़ की राशि के बिलों की राशी वसूली न होने के संबंध में कहा गया कि इन मामलों को मामला–दर–मामला आधार पर विचार किया जा रहा है।

6.1.8.10 राजस्व के समाधान के लिए कंपनी द्वारा त्वरित कार्रवाई का अभाव

सप्लाई कोड, 2011 के उपवाक्य 10.1 के अनुसार उपभोक्ताओं को लाइसेंसधारी अर्थात् कंपनी द्वारा दिए गए बिलों के अनुसार, उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त विद्युत और उपभोग की गई ऊर्जा के लिए हर महीने भुगतान करना होगा।

31 मार्च 2022 तक चयनित सर्किलों के क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (आरएओ) ने उपभोक्ताओं से राजस्व संग्रहण के लिए चार बैंकों[54] में 12 चालू खाते रखे हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नकदी में प्राप्त विद्युत शुल्क सीधे आरएओ के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं। डिमांड ड्राफ्ट/चेक द्वारा प्राप्त भुगतान के मामले में, आरएओ इसे संग्रहण के लिए संबंधित बैंक में प्रस्तुत करते हैं और समाशोधन के बाद, डिमांड ड्राफ्ट/चेक की राशि कंपनी के खाते में जमा की जाती है। एकत्रित नकद और अस्पष्ट चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि के जमा की निगरानी के उद्देश्य से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैंक शेष के समाधान के लिए बैंक समाधान विवरण (बीआरएस) एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

बीआरएस की जांच से पता चला कि 31 मार्च 2022 तक, 37,555 मामलों में, 8 मार्च 2006 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान आरएओ द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त ₹ 1,868.98 करोड़ का राजस्व 'रोकड़ बही में प्राप्त लेकिन बैंक खातों में जमा नहीं' दिखाया गया था। इसी तरह, 22,338 मामलों में ₹ 1,999.95 करोड़ की राशि को 'बैंक खातों में जमा लेकिन रोकड़ बही में प्राप्त नहीं' दिखाया गया था, जो 22 दिसंबर 2005 से 31 मार्च 2022 की अवधि से संबंधित है। हालांकि, 16 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, कंपनी बैंक खातों के साथ रोकड़ बही का समाधान न होने के कारण ₹ 301.83 करोड़ का समाधान सुनिश्चित करने में विफल रही, जैसा कि ***तालिका 6.1.13*** में दर्शाया गया है।

[54] भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआय), भारतीय युनियन बैंक (यूबीआय), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) तथा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआय) तथा छत्तीसगढ़ ग्रामिण बैंक(ग्रामीण बैंक)।

तालिका 6.1.13: चयनित सर्किलों के आरएओ में रोकड़ बही और बैंक खातों के बीच समाधान न किए गए नकद/डिमांड ड्राफ्ट/चेक को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	आरएओ का नाम	रोकड़ बही में प्राप्त राशि दर्शाई गई है, लेकिन बैंक में नहीं				बैंक में प्राप्त राशि दर्शाई गई है, लेकिन रोकड़ बही में नहीं				समाधान नही की गई राशि
		मामलों की संख्या	राशि	अवधि जिसके लिए राशि समाधान नही की गई		मामलों की संख्या	राशि	अवधि जिसके लिए राशि समाधान नही की गई		
				से	तक			से	तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(4–8)
1	बिलासपुर	1,462	112.59	08 मार्च 06	31 मार्च 22	2,987	38.87	22 दिस 05	31 मार्च 22	73.72
2	रायगढ़	6,069	1,084.91	16 अक्टू 15	31 मार्च 22	7,854	1,279.66	19 अक्टू15	31 मार्च 22	194.75
3	आरएओ 2 रायपुर	28,377	667.32	03 अक्टू 11	31 मार्च 22	7,497	655.61	10 अक्टू 11	31 मार्च 22	11.71
4	राजनांदगांव	1,647	4.16	01 अप्रै 13	31 मार्च 22	4,000	25.81	02 जन 09	31 मार्च 22	21.65
कुल		**37,555**	**1,868.98**			**22,338**	**1,999.95**			**301.83**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो से संकलित जानकारी)

कंपनी द्वारा पूर्व[55] में राजस्व के दुरुपयोग/गबन के मामलों की रिपोर्ट किए जाने के बावजूद कंपनी ने इन मामलों से सबक नहीं लिया और रोकड़ बही और बैंक खाते के बीच राजस्व प्राप्ति का मिलान करने के लिए त्वरित कार्रवाही करने में विफल रही। इसलिए, समय पर समाधान के अभाव में, भविष्य में कंपनी को होने वाली राजस्व में धोखाधड़ी/गबन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यह राजस्व प्राप्ति के संबंध में कंपनी की खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अक्टूबर 2023) कि 31 मार्च/अप्रैल/जून 2023 तक अस्पष्ट राशि ₹ 75.99 करोड़ थी। यह भी कहा गया कि अस्पष्ट राशि का समाधान करने और कम करने के लिए आरएओ द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और अंतर को कम करने की प्रगति के बारे में लेखापरीक्षा को उचित समय पर अवगत कराया जाएगा। नकदी के दुरुपयोग के संबंध में, यह कहा गया कि कंपनी ने हाल ही में एसएपी के तहत एक ऑटो क्लियरिंग सिस्टम विकसित किया है जिसकी समय–समय पर प्रधान कार्यालय द्वारा समीक्षा की जाती है। इस प्रकार, राजस्व के दुरुपयोग/धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी।

6.1.8.11 विच्छेदित किए गए उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शनों का संयुक्त भौतिक सत्यापन

यह आकलन करने के लिए कि 31 मार्च 2022 की स्थिति में स्थायी रूप से विच्छेदित (पीडी) निम्न दाब (एलटी) उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित होने के बाद विद्युत सप्लाई के बिना कैसे जी रहे हैं और क्या वे पिछले बकाया का भुगतान किए बिना नए कनेक्शन प्राप्त कर रहे हैं, एक वर्ष और उससे अधिक अवधि के लिए विच्छेदित किए गए 642 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शनों का संयुक्त भौतिक सत्यापन लेखापरीक्षा के दौरान चयनित सर्किलों के वितरण केंद्र प्रभारियों के साथ (दिसंबर 2022) किया गया। इस कार्य के लिए, प्रत्येक चयनित सर्कल में से न्यूनतम 100 उपभोक्ताओं को यादृच्छिक रूप से चुना गया, जिनमें इन सभी 19 डिवीजन कार्यालयों को शामिल किया गया था।

---

55 कंपनी के कर्मचारीयों ने विद्युत शुल्क उपभोक्ताओं से प्राप्त ₹ 3.64 करोड़ की नकदी का दुरूपयोग कियाः ₹ 18.01 लाख धमतरी संभाग (वर्ष 2016–17), ₹ 1.10 करोड़ बिलासपुर क्षेत्र (2018–19) और ₹ 2.36 करोड़ अकलतरा संभाग (वर्ष 2020–21)।

भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 642 उपभोक्ताओं में से 131 उपभोक्ता सीधे खंभे से तार जोड़कर बिजली का उपयोग कर रहे थे, 434 उपभोक्ता कनेक्शन से वंचित पाए गए, 33 उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं से कनेक्शन लेकर अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करते पाए गए, 36 उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन दिए गए, जिनमें से 19 को पिछले बकाया का भुगतान किए बिना कनेक्शन दिए गए। कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, आठ उपभोक्ता जिनके कनेक्शन बिजली बिलों का भुगतान न करने के कारण विच्छेदित किए गए थे, बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के बावजूद उनके कनेक्शन जुड़े पाये गये।

(उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के तार से सीधे हुकिंग करते हुए दिखाने वाला चित्र)

यह दर्शाता है कि कंपनी पिछले बकाया का भुगतान किए बिना कनेक्शन विच्छेदित हुए उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के अनधिकृत उपयोग की निगरानी करने में असमर्थ रही।

छत्तीसगढ़ शासन ने आंशिक उत्तर देते हुए (अक्टूबर 2023) निम्नलिखित बातें बताईः

- लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा गया कि कवर्धा सर्किल में बकाया भुगतान चुकाने के बाद 12 कनेक्शन पुनः जोड़ दिए गए थे और 20 पीडी कनेक्शनों के विरुद्ध बकाया राशि वसूल की गई।
- भौतिक सत्यापन में पाया गया कि महासमुंद सर्किल में सभी चार पीडी कनेक्शनों का परिसर एक ही था और वहां बिजली का कोई अनाधिकृत उपयोग नहीं हुआ था। इसी तरह, सरायपाली के मामले में, 2013 में कनेक्शन दिया गया था, लेकिन कनेक्शन विच्छेद किए जाने के बाद नहीं दिया था जैसा कि लेखापरीक्षा ने बताया था।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान चार कनेक्शन विच्छेदित पाये गए थे, लेकिन उक्त कनेक्शन के उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं से कनेक्शन लेकर अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे और उत्तर की पुष्टि करने हेतु सहायक दस्तावेज नहीं प्रदान किये गये। इसके अलावा, पिछले बकाया का भुगतान किए बिना नए कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में भी उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के अभिलेखों के अनुसार बकाया होने के बावजूद संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उक्त कनेक्शन जुड़ा हुआ पाया गया। इसके अलावा, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान कंपनी द्वारा लेखापरीक्षा के परिणामों को स्वीकार कर लिया गया था।
- लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने कहा कि जांजगीर–चांपा सर्किल में बिना पिछले बकाया भुगतान किये गए पांच नए कनेक्शनों में से, दो कनेक्शन वर्तमान में पिछला बकाया भुगतान करने पर जोड़े

गये है, तीन कनेक्शन विच्छेदित कर दिए गए है। इसी तरह, तीन ऐसे कनेक्शन जो लेखापरीक्षा द्वारा सीधे तार जोड़कर द्वारा बिजली का उपयोग करते पाए गए थे, उन्हें पिछले बकाया भुगतान के बाद फिर से जोड़ा गया।

यह भी कहा गया है कि एक कनेक्शन जिसके बारे में लेखापरीक्षा ने बताया कि वह दूसरे कनेक्शन से बिजली का उपयोग कर रहा था, भौतिक सत्यापन में विच्देदित पाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान एक कनेक्शन दूसरे कनेक्शन से बिजली का उपयोग करते हुए पाया गया था और कंपनी के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान इसे स्वीकार किया था।

- लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि बिलासपुर शहर सर्किल में दो कनेक्शन से स्थाई विच्छेदन बकाया भुगतान के बिना कनेक्शन दिए थे, इनकी बकाया राशि की वसूली कर ली गई। पास के कनेक्शन से बिजली का उपयोग करते पाए गए तीन कनेक्शनों में से स्थाई विच्छेदन बकाया भुगतान के बाद एक नया कनेक्शन प्रदान किया गया और दो कनेक्शन विच्छेदित कर दिये है। सीधे तार जोड़कर बिजली का उपयोग करते पाए गए दो कनेक्शनों में से स्थाई विच्छेदन बकाया भुगतान के बाद एक नया कनेक्शन प्रदान किया गया था और एक कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया है।
- कंडिका को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि रायपुर शहर–1 सर्किल में सीधे तार जोड़ने के छः मामलों में उचित कार्रवाई की गई है, पास के कनेक्शन से बिजली का उपयोग करते पाए गए नौ कनेक्शनों की आपूर्ति विच्छेद कर दी गई है और पिछले बकाया भुगतान के बिना नए कनेक्शन दिए गए दो मामलों में लाइन विच्छेद कर दी गई है।
- राजनांदगांव सर्किल के संबंध में छत्तीसगढ शासन ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए सभी स्थाई विच्छेदन कनेक्शनों का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा बिजली का उपयोग नहीं पाया गया। आगे बताया गया कि उचित प्रक्रिया का पालन करने तथा पुराने बकाया की वसूली के पश्चात् कुछ कनेक्शन दिए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्थायी रूप से कनेक्शन विच्छेद किए गए उपभोक्ताओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 110 उपभोक्ताओं में से 10 सीधे खंभे से कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग कर रहे थे, नौ उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं से कनेक्शन लेकर अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे, पांच उपभोक्ताओं को पिछले बकाया का भुगतान किए बिना नए कनेक्शन दिए गए तथा तीन उपभोक्ताओं के कनेक्शन जुड़े हुए पाए गए, हालांकि कंपनी के अभिलेखों के अनुसार उनका कनेक्शन विद्युत बिल का भुगतान न करने के कारण विच्छेद कर दिया गया था। इसके अलावा संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा के परिणामों को कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

इसके अलावा, निर्गमन सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि कंपनी द्वारा आवश्यक कार्रवाही के लिए मैदानी कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।

6.1.9 निष्कर्ष

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा 83.50 से 84 प्रतिशत के विरूद्ध बिलिंग दक्षता 79.84 प्रतिशत से 81.98 प्रतिशत के बीच रही। कंपनी ने अपनी संग्रहण दक्षता की गणना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूत्रों को लागू नही किया। परिणामस्वरूप संग्रहण दक्षता (–)0.51 प्रतिशत से 4.65 प्रतिशत तक गलत रिपोर्ट की गई। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान कंपनी ने

₹ 49,471.89 करोड़ की लागत पर 1,26,719.50 एमयू इनपुट/क्रय किया, जिनमें से उपभोक्ताओं को ऊर्जा वितरण के दौरान ₹ 9,283.38 करोड़ मूल्य के 23,788.15 एमयू नष्ट हो गए। नष्ट हुई कुल इकाइयों में से 3,160.21 एमयू मानक से अधिक थी अन्यथा कंपनी को ₹ 2,157.15 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता। इसके अलावा, विक्रय की गई इकाइयों में से कंपनी, वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2020–21 के दौरान ₹ 1,591.20 करोड़ मूल्य की 2,376.58 एमयू की वसूली नहीं कर सकी।

अत्यधिक वितरण हानि का प्रमुख कारण डीटीआर मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग में तीव्रता लाने में कंपनी की अकर्मण्यता, एएमआर सिस्टम और सीबी की गैर–स्थापना, आकलित बिलिंग के मामलों की अधिकता और खराब मीटरों को बदलने में हुई देरी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,353.60 करोड़ मूल्य के 1,988.64 एमयू की हानि हुई। कंपनी ने ₹ 2.65 करोड़ की कम बिलिंग करके उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। कृषक जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत की खपत कृषि पंप की अधिकतम निर्धारित क्षमता से अधिक थी परिणामस्वरूप, पांच वर्षो मे छत्तीसगढ़ सरकार को 213.37 एमयू का अतिरिक्त बिल भेजा गया और योजना के तहत सब्सिडी के रूप में ₹ 145.51 करोड़ की अतिरिक्त राशि का दावा किया गया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान नमूना लिए गए किसी भी सर्कल ने 99.66 प्रतिशत संग्रहण दक्षता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। संग्रहण दक्षता लक्ष्य प्राप्त न करने के कारणों में कंपनी द्वारा चूककर्ता उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई विच्छेद करने में निष्क्रियता, कनेक्शन विच्छेद किए गए उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया वसूली अधिनियम के अनुसार प्रभावी कार्रवाही का अभाव, सरकारी विभागों से बकाया, उपभोक्ताओं से उचित सुरक्षा जमा राशि का संग्रह न करना और परिचालन एवं संधारण और सतर्कता जांच के दौरान उठाई गई मांग के विरूद्ध वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाही का अभाव था। स्थायी दर चुनने वाले उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की खपत के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केजेजेवाई के तहत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति न किए जाने के कारण कंपनी ने ₹ 2,163.43 करोड़ का नुकसान वहन किया। कंपनी ने खर्चों को पूरा करने के लिए वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ₹ 2,097.44 करोड़ का ऋण लिया और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सब्सिडी जारी करने में देरी के कारण उस पर ₹ 214.77 करोड़ का ब्याज चुकाया। उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण और उसके परिणामस्वरूप राज्य शासन से सब्सिडी का कम दावा करने के कारण कंपनी को ₹ 15.74 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। कंपनी न केवल चेक बाउंस होने के संबंध में स्थायी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्ति में देरी हुई, बल्कि उसने रोकड़–बही और बैंक खातों का समाधान भी नहीं किया। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2022 तक ₹ 301.83 करोड़ की राशि का समाधान नहीं हो पाया।

6.1.10 अनुशंसाएं

1. ***कंपनी को वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, स्वचालित मीटर रीडिंग सिस्टम और कैपेसिटर बैंकों की स्थापना, खराब मीटरों को बदलने में तेजी लाने और उच्च बिलिंग दक्षता प्राप्त करने के लिए सही बिलिंग सुनिश्चित करने और वितरण हानि को कम करने की आवश्यकता है।***
2. ***कंपनी को उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग, अनादृत चेक के संबंध में स्थायी आदेशों का अनुपालन न करने और समय पर रोकड़–बही और बैंक खाते का समाधान न करने के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।***
3. ***बकाया वसूली के लिए तेजी से उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें व्यतिक्रमी उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किए जाएं, बकाया वसूली***

करने के लिए सरकारी विभागों और व्यतिक्रमी उपभोक्ताओं को प्रभावशाली रूप में प्रेरित किया जाए, ताकि उच्चतर संग्रहण दक्षता प्राप्त की जा सके।

रायपुर
दिनांक : **11 जून 2025**

(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : **13 जून 2025**

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक